



भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान
(सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी)
विज्ञापन संख्या 01/2023

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे की ओर से समूह 'ख' और 'ग' के निम्नलिखित पदों के लिए भारतीय नागरिकों (और गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योग्य घोषित अन्य ऐसे उम्मीदवारों) से सीधी भर्ती (नियमित पदों) के लिए आवेदन आमंत्रित करता है :

क्र. सं.	पद का नाम	पे मैट्रिक्स स्तर	कुल	रिक्तियों की सं					अधिकतम आयु सीमा
				सा मा न्य	अ पि व	अ जा	अ ज जा	ईडब्ल्यू एस	
1	कैमरामैन (इलेक्ट्रॉनिक और फिल्म)**	पीएमएल 7	02		01		01		30 वर्ष
2	ग्राफिक और विजुअल असिस्टेंट	पीएमएल 6	02	02					30 वर्ष
3	फिल्म संपादक	पीएमएल 6	01				01		30 वर्ष
4	मैक अप आर्टिस्ट	पीएमएल 6	01				01		25 वर्ष
5	प्रयोगशाला सहायक (ग्रेड - I)	पीएमएल 6	01		01				30 वर्ष
6	अनुसंधान सहायक (तकनीकी)	पीएमएल 6	01					01	30 वर्ष
7	सहायक सुरक्षा अधिकारी	पीएमएल 6	02		01		01		50 वर्ष
8	निर्माण सहायक [01 पद के लिए आरक्षित पीडब्ल्यूडी श्रेणी (बी)]	पीएमएल 6	02			01		01	30 वर्ष
9	सहायक अनुरक्षण अभियंता (मैकेनिकल)	पीएमएल 6	01	01					30 वर्ष
10	सहायक अनुरक्षण अभियंता (विद्युत)	पीएमएल 6	01	01					30 वर्ष
11	साउंड रिकॉर्डिस्ट***	पीएमएल 6	01				01		30 वर्ष
12	प्रयोगशाला तकनीशियन	पीएमएल 4	07	03	02		01	01	25 वर्ष
13	डेमोंस्ट्रेटर (साउंड रिकॉर्डिंग) ***	पीएमएल 4	03	02	01				40 वर्ष
14	आशुलिपिक#	पीएमएल 4	03		01			02	27 वर्ष
15	उच्च श्रेणी लिपिक	पीएमएल 4	02		02				27 वर्ष
16	मैकेनिक	पीएमएल 4	04	01		02	01		25 वर्ष
17	हिंदी टाइपिस्ट क्लर्क #	पीएमएल 2	01			01			25 वर्ष
18	बढ़ई	पीएमएल 2	02	01			01		25 वर्ष
19	चालक #*	पीएमएल 2	06	04			02		30 वर्ष
20	इलेक्ट्रीशियन	पीएमएल 2	04	04					25 वर्ष
21	मिटर	पीएमएल 2	02	01			01		25 वर्ष
22	तकनीशियन	पीएमएल 2	05	02		02	01		25 वर्ष
23	मल्टी टास्किंग स्टाफ (सहायक बढ़ई)	पीएमएल 1	01	01					25 वर्ष
24	मल्टी टास्किंग स्टाफ (प्रयोगशाला परिचारक)	पीएमएल 1	01		01				25 वर्ष
25	मल्टी टास्किंग स्टाफ (प्लम्बर)	पीएमएल 1	01	01					25 वर्ष
26	मल्टी टास्किंग स्टाफ (क्लीनर)	पीएमएल 1	02		02				25 वर्ष
27	मल्टी टास्किंग स्टाफ (फरश)	पीएमएल 1	01					01	25 वर्ष
28	मल्टी टास्किंग स्टाफ (चपरासी) (01 पद आरक्षित पीडब्ल्यूडी श्रेणी (सी) के लिए	पीएमएल 1	08	06	02				25 वर्ष
29	मल्टी टास्किंग स्टाफ (कुक कम चौकीदार)*	पीएमएल 1	01	01					25 वर्ष
30	स्टूडियो सहायक	पीएमएल 1	15	14			01		25 वर्ष

#कौशल परीक्षा सहित

* पीडब्ल्यूडी के लिए उपयुक्त नहीं (सभी श्रेणियों)

** पीडब्ल्यूडी (श्रेणी ए) अर्थात् दृष्टिबाधित और अल्पदृष्टि के लिए उपयुक्त नहीं

*** पीडब्ल्यूडी (श्रेणी बी) अर्थात् श्रवणबाधित और अल्प श्रवण के लिए उपयुक्त नहीं

नोट

1. भर्ती का तरीका पेपर (ऑप्टिकल मार्क रीडर - ओएमआर) आधारित टेस्ट (पीबीटी) होगा। कुछ मामलों में, स्किल टेस्ट का भी संचालन किया जाएगा, जो क्वालीफाइंग स्वरूप होगा।
2. क्र.सं. 12 से 30 तक के पदों के विरुद्ध 07 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं।
3. एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों आदि के लिए कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग दिशानिर्देशों के अनुसार आयु में छूट को ढील दी जायेगी।
4. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के लागू नियमों के अनुसार, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक रूप से अपने पति से अलग रहने वाली और जिसने पुनर्विवाह न किया हो को आयु में छूट दी जाएगी।
5. भाफिटेस में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है।
6. विज्ञापित रिक्तियों की संख्या भिन्न हो सकती है। वे बढ़ या घट सकती हैं।
7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 जनवरी, 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/02/2017-स्था.(आरक्षण) के अनुसार निम्नलिखित पीडब्ल्यूडी की श्रेणियां हैं ;
 - (i) श्रेणी (ए): अंधापन और कम दृष्टि
 - (ii) श्रेणी (बी): बधिर और सुनने में कठिनाई
 - (iii) श्रेणी (सी): सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर विकलांगता
 - (iv) श्रेणी (डी): आत्मकेंद्रित, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी
 - (v) श्रेणी (ई): बधिर-अंधता सहित खंड (क) से (डी) के तहत व्यक्तियों में से बहु विकलांगता
8. किसी भी रूप में प्रभाव डालना आवेदक की उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
9. सभी प्रकार से पूर्ण ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29.05.2023, शाम 6 बजे है।
10. किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया कार्य दिवसों में सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच श्री एस.के. डेकाटे, प्रशासनिक अधिकारी से 020-25580014/ recruitment2023@ftii.ac.in पर संपर्क करें।

कुलसचिव
भाफिटेसं

1. योग्यताएं और अनुभव:

पद क्रमांक 1: कैमरामैन (इलेक्ट्रॉनिक्स और फिल्म)

(क) अनिवार्य :

भाफिटेसं से चलचित्रांकन में डिप्लोमा या उसके समकक्ष ;

या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री ।

फिल्म / टीवी से संबंधित किसी संगठन में चलचित्र छायांकन (मोशन पिक्चर फोटोग्राफी) का कम से कम दो वर्षों का अनुभव।

उम्मीदवारों के लिए आवश्यक हैं कि वे अपने कार्य का प्रमाण प्रस्तुत करें ।

पद क्रमांक 2: ग्राफिक्स और विजुअल असिस्टेंट

(क) अनिवार्य :

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ललित कला में डिग्री/डिप्लोमा या उसके समकक्ष;

फिल्म/टीवी ग्राफिक्स/प्रशिक्षण से संबंधित किसी संगठन या संस्थान में ग्राफिक्स/एनीमेशन में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव ।

(ख) वांछनीय

भाफिटेसं द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष ।

पद क्रम संख्या 3: फिल्म संपादक

(क) अनिवार्य :

भाफिटेसं से संपादन में डिप्लोमा या उसके समकक्ष;

फिल्म संपादन/प्रशिक्षण से संबंधित किसी संगठन अथवा संस्थान में फिल्म संपादक के रूप में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव।

पद क्रम संख्या 4: मेकअप आर्टिस्ट

(क) अनिवार्य:

दसवीं या उसके समकक्ष ;

फिल्म / टीवी निर्माण या थियेटर निर्माण से संबंधित किसी संगठन या संस्थान में मेकअप मैक के पद पर कम से कम 5 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव ।

पद क्रम सं 5 : प्रयोगशाला सहायक (ग्रेड- I)

(क) अनिवार्य:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में डिग्री;

प्रयोगशाला में एक विशेषज्ञ रसायनज्ञ के रूप में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव ।

(ख) वांछनीय

सेंसिटोमेट्री का अच्छा ज्ञान ।

पद क्र.सं. 6: अनुसंधान सहायक (तकनीकी)

(क) अनिवार्य :

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) में डिप्लोमा या उसके समकक्ष ;

इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के कार्य में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव ।

(ख) वांछनीय

अनुसंधान संगठन में अनुभव ।

पद क्रम.सं 7 : सहायक सुरक्षा अधिकारी

(क) अनिवार्य :

न्यूनतम एस.एस.सी. या उसके समकक्ष ।

जे.सी.ओ अथवा उसके समकक्ष श्रेणी से निम्न श्रेणी में तथा पाँच वर्षों से कम अवधि के लिए कार्य न किया हो तथा पूर्व पुलिस अधिकारी के पद पर कार्य किया है जो पी.एस.आय की श्रेणी से कम श्रेणी में न हो ।

भाफिटेशन की निम्नलिखित सेवाकालीन श्रेणियां भी खुले चयन में पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे :

केयरटेकर / उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड के साथ कम से कम 5 साल की नियमित सेवा और वरिष्ठ आशुलिपिक / लेखाकार के ग्रेड के साथ कम से कम 5 साल की नियमित सेवा । निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ऐसे उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी।

पद क्र.सं. 8: निर्माण सहायक

(क) अनिवार्य :

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान से निर्देशन में डिप्लोमा या उसके समकक्ष;

अथवा

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निर्माण में डिप्लोमा या उसके समकक्ष

अथवा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या उसके समकक्ष

फिल्म/टीवी निर्माण/प्रशिक्षण से संबंधित किसी संगठन या संस्थान में फिल्म/टीवी निर्माण में कम से कम दो वर्षों का अनुभव

अथवा

मैट्रिक्युलेशन के साथ किसी प्रतिष्ठित फिल्म स्टूडियो अथवा फिल्म निर्माण संगठन अथवा टीवी स्टूडियो अथवा निर्माण इकाई में यूनिट प्रबंधक या निर्माण सहायक के रूप में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव ।

नोट: पदभारी व्यक्ति के लिए प्रायः गाँव में कॅम्प लगाकर रहना आवश्यक हैं ।

पद क्र.सं. 9: सहायक अनुरक्षण अभियंता (मैकेनिकल)

(क) अनिवार्य :

मान्यता प्राप्त संस्थान की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या उसके समकक्ष ।

फिल्म स्टूडियो या मोशन पिक्चर उपकरणों का निर्माण अथवा मार्केटिंग करने वाले फिल्म स्टूडियो संगठन के मैकेनिकल वर्कशॉप में मोशन पिक्चर स्टूडियो उपकरणों के अनुरक्षण और मरम्मत में कम से कम दो वर्षों का अनुभव।

पद क्र.सं. 10 : सहायक अनुरक्षण अभियंता (इलेक्ट्रिकल)

(क) अनिवार्य :

भाफिटेसं से सिनेमा (साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड इंजीनियरिंग) में डिप्लोमा या समकक्षा।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा या उसके समकक्ष।

इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत का कम से कम दो वर्षों का अनुभव, विशेषतः एक फिल्म या टीवी स्टूडियो या इलेक्ट्रिकल / उपकरणों का उत्पादन करने वाले सुप्रसिद्ध एक इंजीनियरिंग संगठन में।

पद क्र.सं. 11 साउंड रिकॉर्डिस्ट

(क) अनिवार्य :

भाफिटेसं से साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या उसके समकक्षा।

साउंड रिकॉर्डिंग / प्रशिक्षण से संबंधित किसी संगठन या संस्थान में साउंड रिकॉर्डिंग में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव;

अथवा

टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

साउंड रिकॉर्डिंग / प्रशिक्षण से संबंधित संगठन या संस्थान में साउंड रिकॉर्डिंग का कम से कम 2 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव।

पद क्र.सं.. 12: प्रयोगशाला तकनीशियन

(क) अनिवार्य:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष.

मोशन पिक्चर फिल्म प्रोसेसिंग प्रयोगशाला में फिल्म प्रोसेसिंग का कार्य करने का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव, जिसमें थ्रेडिंग करने का और प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेट कराने और केमिकल मिश्रित करने का अनुभव / कार्य किया हो ।

(ख) वांछनीय

मान्यता प्राप्त संस्थान के फिल्म प्रोसेसिंग में डिप्लोमा.

पद क्र.सं.. 13: डेमोस्टेटर (साउंड रिकॉर्डिंग)

(क) अनिवार्य:

मान्यता प्राप्त संस्थान से साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान से वरीयता या उसके समकक्ष.

(ख) वांछनीय

साउंड रिकॉर्डिंग में एक वर्ष का अनुभव या तो एक स्वतंत्र क्षमता में या पहले सहायक स्तर पर.

किसी प्रतिष्ठित फिल्म स्टूडियो/ रेडियो निर्माण अथवा मार्केटिंग इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मरम्मत, सर्विसिंग और रखरखाव में एक वर्ष का अनुभव ।

पद क्र.सं.14 आशुलिपिक

(क) अनिवार्य:

12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष.

कौशल परीक्षण मानदंड :

श्रुतलेख (डिक्टेसन) : 10 मिनट @ 80 wpm

प्रतिलेखन: 50 मिनट (अंग्रेजी) और 65 मिनट (हिंदी) (केवल कंप्यूटर पर)

(ख) वांछनीय

वाणिज्यिक (कमर्शियल) संगठन या एक सरकारी कार्यालय में आशुलेखक के रूप में पिछला अनुभव.

पद क्र.सं. 15: उच्च श्रेणी लिपिक

(क) अनिवार्य:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या उसके समकक्ष

पद क्र.सं. 16: मैकेनिक

(क) अनिवार्य:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या उसके समकक्ष

योग्यता का प्रमाण पत्र या आई.टी.आई. से डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष फिटर मैकेनिक.

मोशन पिक्चर प्रयोगशाला उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत करने का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव.

(ख) वांछनीय

मान्यता प्राप्त संस्थान से फिल्म प्रोसेसिंग में डिप्लोमा.

अथवा

(क) अनिवार्य

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष.

मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो अभियांत्रिकी अथवा रेडियो विनिर्माण (रेडियो मनीफेक्चरिंग प्लांट) प्लांट में अथवा एम्पलीफायर का निर्माण करने वाले प्रसिद्ध संस्थान के कुशल कर्मचारी के रूप में कार्य करने का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव ।

(ख) वांछनीय

मैकेनिकल कार्यशाला संचालन का ज्ञान.

अथवा

(क) अनिवार्य

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या मान्यता प्राप्त पॉलिटैक्निक या संस्थान से वायर मैकेनिक या फिटर मैकेनिक का सक्षमता प्रमाणपत्र या डिप्लोमा या व्यवसाय (ट्रेड)प्रमाणपत्र

बड़े इंजीनियरिंग टीवी / फिल्म स्टूडियो में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मरम्मत या रखरखाव या लेथ पर कार्य करने या बढ़ईगीरी का काम या बिजली वायरिंग तथा सोल्डरिंग अथवा एयर कंडीशन प्लॉट की मरम्मत या अनुरक्षण का करने का कम से कम दो वर्षों का अनुभव ।

पद क्र.सं. 17: हिंदी टकण – सह – लिपिक

(क) अनिवार्य:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष उत्तीर्ण;

हिंदी टाइपिंग का ज्ञान, जिसमें न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति.

(ख) वांछनीय

सरकारी कार्यालय अथवा व्यावसायिक कार्यालय में लिपिक का कार्य करने का अनुभव.

अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान

पद क्र.सं. 18: बढ़ई

(क) अनिवार्य:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या उसके समकक्ष

सहजता से हिंदी और / या अंग्रेजी आसानी से पढ़ने और लिखने की क्षमता.

फिल्म स्टूडियो के सेंटिंग विभाग में या प्रतिष्ठित फर्नीचर विभाग में बढ़ई के रूप में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव

पद क्र.सं.. 19: चालक

(क) अनिवार्य:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ मोटर कार तथा हेवी ड्यूटी गाडियाँ चलाने का लाइसेंस

गाडी के मकेनिजम की अच्छी जानकारी

प्रतिष्ठित बडी फर्म अथवा निजी संगठन में हेवी ड्यूटी गाडियाँ चलाने का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव

सहजता के साथ हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने, लिखने की क्षमता.

पुणे, मुंबई और उन उपनगरों के अंदर तथा आसपास के क्षेत्रों से परिचित.

(ख) वांछनीय

विभिन्न प्रकार की मोटर वाहनों की मरम्मत और रखरखाव संबंधी अच्छी जानकारी.

पद क्र.सं. 20: इलेक्ट्रीशियन

(क) अनिवार्य:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या उसके समकक्ष

सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया हुआ एक वायरमैन का लाइसेंस ।

सुप्रसिद्ध फिल्म स्टूडियो या प्रतिष्ठित औद्योगिक उपक्रम में इलेक्ट्रीशियन के रूप में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव.

पद क्र.सं. 21: पेंटर

(क) अनिवार्य:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष उत्तीर्ण

हिंदी और/या अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की क्षमता

सुप्रसिद्ध फिल्म स्टूडियो अथवा इंटीरियर डेकोरेटर फर्म में बैकग्राउंड स्क्रीन पेंटिंग, स्पेशल एफेक्ट, हैंड स्प्रे पेंटिंग, प्रमुख भारतीय भाषाओं सहित अंग्रेजी वर्ण (लेटरिंग) लेखन, स्टैसिल ड्राइंग तथा सेट के लिए कटिंग करने का कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव ।

पद क्र.सं. 22: तकनीशियन

(क) अनिवार्य:

मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष.

(I.T.I. इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रमाण पत्र) या (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वायरमैन का लाइसेंस).

फिल्म स्टूडियो या सुप्रसिद्ध औद्योगिक उपक्रम में इलेक्ट्रीशियन के रूप में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव.

(ख) वांछनीय

इंस्ट्रुमेंटेशन कार्य का अनुभव.

पद क्र.सं.. 23: मल्टी टास्किंग स्टाफ (सहायक बढई)

(क) अनिवार्य:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या उसके समकक्ष

प्रसिद्ध फिल्म स्टूडियो के विभाग की सेंटिंग या फर्नीचर निर्माण उद्योग में बढई या सहायक बढई के रूप में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव

(ख) वांछनीय

सहजता से हिंदी और / या अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की क्षमता.

पद क्र.सं. 24: मल्टी टास्किंग स्टाफ (प्रयोगशाला परिचर)

(क) अनिवार्य:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या उसके समकक्ष

प्रयोगशाला में एक परिचर के रूप में कार्य करना होना चाहिए ।

हिंदी और / या अंग्रेजी में काम करने का ज्ञान.

पद क्र.सं. 25: मल्टी टास्किंग स्टाफ (प्लम्बर)

(क) अनिवार्य:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या उसके समकक्ष और हिंदी, मराठी या अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में सक्षम हो.

(ख) वांछनीय

प्लम्बर (नलसाज) के कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव आवश्यक है, जिसमें जल आपूर्ति के लिए संबंधित पाइपों को जोड़ने, काटना, मोडना, थ्रेडिंग करना आदि का अनुभव हो ।

पानी की टंकियों में पंप द्वारा पानी भरने के काम का व्यावहारिक ज्ञान तथा जल आपूर्ति के लिए उपयोग में लाये जाने वाले विभिन्न प्रकार वाल्व के उपयोग करने की जानकारी हो ।

गहरा गड्ढा खोदना और चिनाई का काम , जिसमें पत्थर चिनाई, ईंट की चिनाई, टाइल की चिनाई करने का व्यावहारिक ज्ञान और सड़क की सतह को पुनः ठीक करने की भी जानकारी हो ।

पद क्र.सं. 26 मल्टी टास्किंग स्टाफ (क्लीनर)

(क) अनिवार्य:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष उत्तीर्ण

प्रतिष्ठित परिवहन संगठन जहाँ मोटर गाडियाँ अधिक संख्या में हो, में क्लीनर के रूप में कम से कम एक वर्ष का अनुभव

पद क्र.सं.. 27: मल्टी टास्किंग स्टाफ (फराश)

(क) अनिवार्य:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या उसके समकक्ष

सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय या वाणिज्यिक (कमाशियल) संगठन में फराश के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए.

पद क्र.सं. 28: मल्टी टास्किंग स्टाफ (चपरासी)

(क) अनिवार्य:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष उत्तीर्ण

पद क्र.सं. 29: मल्टी टास्किंग स्टाफ (कुक सह चौकीदार)

(क) अनिवार्य:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष उत्तीर्ण

सरकारी कार्यालय, सैन्य प्रतिष्ठान, स्थानीय निकाय या प्रतिष्ठित व्यावसायिक संगठन में वॉचमैन / सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कम से कम 6 महीने का अनुभव. भूतपूर्व सैनिक कर्मियों को वरीयता दी जाएगी.

सरकारी, सैन्य प्रतिष्ठान, स्थानीय निकाय या प्रतिष्ठित व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत छात्रावास या गेस्ट हाउस में खाना पकाने का कम से कम 6 महीने का अनुभव. प्राथमिकता उस व्यक्ति को दी जायेगी , जिसके पास खाना पकाने का डिप्लोमा / प्रमाण पत्र है ।

(ख) वांछनीय

हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की क्षमता.

(ग) कर्तव्य

इस पद पर नियुक्त होने वाले कर्मचारी से अपेक्षित है कि वह टीवी छात्रावास में रहने वाले अतिथियों और आने वाले व्यक्तियों (विजिटर्स) के भोजन बनाना होगा । साथ ही जब कभी बनाने / पकाने का काम न हो, तब वे सुरक्षा अधिकारी द्वारा निश्चित की गयी समय-सारिणी के अनुसार चौकीदार के रूप में कार्य करेंगे ।

पद क्र.सं.. 30: स्टूडियो सहायक

(क) अनिवार्य

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष उत्तीर्ण

(ख) वांछनीय

फिल्म/ टीवी / थिएटर कार्यक्रम के लिए सेंटो के निर्माण के कार्य के साथ मंच सहायक का अनुभव ।

- 1.1 शैक्षिक योग्यता के संबंध में, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से **10** वीं / **12** वीं / आईटीआई / डिप्लोमा / डिग्री या उसके समकक्ष आवेदन की अंतिम तिथि से पहले प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। बोर्ड/विश्वविद्यालय समकक्ष या समकक्ष योग्यता के संबंध में, यह उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी कि प्रस्तुत करते समय सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी समतुल्यता प्रमाण पत्र बोर्ड / विश्वविद्यालय से अवश्य प्राप्त करे और प्रस्तुत करें, विफल होने के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 1.2 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06. 2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा डिग्रियां प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त है बशर्ते, उनको दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन हो। तदनुसार ऐसी डिग्रियों को उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्यता नहीं दी गई है, जब अभ्यर्थियों ने वह अर्हता अर्जित की है उन्हें शैक्षिक अर्हता के उद्देश्य से अर्हता प्राप्त नहीं माना जाएगा। शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से प्रदान की गई ऐसी डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में, ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रासंगिक अवधि के लिए दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए अनुमोदन भी प्रस्तुत करने होंगे।
- 1.3 भारत के राजपत्र के भाग - III (8)(V) में दिनांक 23.06. 2017 को प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम 2017 के अनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के तहत किए गए अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत, नर्सिंग, फार्मेसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि के पाठ्यक्रम परमिट नहीं हैं। तथापि, मुकुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य मामलों में डब्ल्यू.पी (सी) की सं. 382/2018 में एमए सं 3092/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11-03-2019 के आदेशानुसार, इग्नू ने शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में नामांकित छात्रों को जो वी टेक/ डिप्लोमा प्रदान किया है, उसे वैध माना जाएगा।
- 1.4 जिन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है, उन्हें कट-ऑफ तिथि को या उससे पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में **10**, **12**वीं और सभी वर्षों के लिए अंक पत्र/ स्नातक / अनंतिम प्रमाण पत्र / मूल में स्नातक की डिग्री जैसे प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, ऐसा न करने पर भाफिटेसं (एफटीआईआई) द्वारा ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- 1.5 प्रत्येक पद के अनुभव की गणना आवश्यक शैक्षिक योग्यता के पश्चात् की जाएगी।
(10वीं / 12वीं / डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र आदि)
- 1.6 आवेदकों को विज्ञापन में निर्धारित पद की अनिवार्य आवश्यकताओं और अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। उन्हें आवेदन करने से पूर्व स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि उनके पास विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम आवश्यक योग्यता है। योग्यता के बारे में सलाह मांगने पर किसी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 1.7 निर्धारित आवश्यक योग्यता न्यूनतम है और यह केवल उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं देता है। इसलिए उम्मीदवार को न्यूनतम योग्यता से अधिक प्रासंगिक क्षेत्र में अपनी सभी योग्यता और अनुभव का उल्लेख करना चाहिए।

2. परीक्षा और चयन की व्यवस्था:

- 2.1 सभी पदों के लिए, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) प्रारूप में 100 अंकों का प्रश्नपत्रिका (ऑप्टिकल मार्क रीडर - ओएमआर) आधारित परीक्षा (पेपर बेस्ड टेस्ट-पीबीटी) आयोजित की जाएगी। किसी विवाद, विसंगति या अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।
- 2.2 प्रत्येक पद के प्रश्न पत्र में सामान्य योग्यता और विशिष्ट क्षेत्र से प्रश्न होंगे। सामान्य योग्यता के प्रश्न 60 प्रतिशत भारांक (वेटेज) के होंगे और शेष 40 प्रतिशत विशिष्ट क्षेत्र से होंगे। सामान्य क्षमता को आगे 4 वर्गों में विभाजित किया गया है - (क) सामान्य ज्ञान, (ख) सामान्य अंग्रेजी, (ग) सामान्य बुद्धि और तर्क और (घ) कंप्यूटर, प्रत्येक 15 प्रतिशत भारांक(वेटेज) ले रहा है।
- 2.3 सभी पदों के लिए 60 अंकों की सामान्य योग्यता का पाठ्यक्रम समान है, लेकिन प्रश्नगत पदों की आवश्यक शैक्षिक योग्यता के अनुसार इसका कठिनाई स्तर बदल जाता है, जबकि प्रत्येक प्रश्नगत पद के लिए 40 अंकों के विशिष्ट क्षेत्र के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता है। सांकेतिक पाठ्यक्रम के लिए, कृपया अनुबंध-XIV देखें।
- 2.4 प्रत्येक सही उत्तर पर पूरे अंक दिए जाएंगे जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 25% की कटौती की जाएगी। पीबीटी और/अथवा कौशल परीक्षा के संबंध में पुनः जांच / पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।
- 2.5 यदि पीबीटी कई पारियों में आयोजित की जाए तो मानक अभ्यास का उपयोग करके उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक सामान्यीकृत किए जाएंगे और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अंतिम योग्यता और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।
- 2.6 पीबीटी के बाद अनंतिम उत्तर कुंजी भाफ्रिटेस की वेबसाइट / पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। उम्मीदवार उत्तर कुंजी को देख सकते हैं और निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि कोई आपत्ति हो तो ऑनलाइन अभ्यावेदन प्रति प्रश्न ₹100/- के भुगतान पर जमा कर सकते हैं, जो आपत्ति सही

पाए जाने पर वापस कर दी जाएगी। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन उदा. पत्र, आवेदन, ईमेल आदि पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले उत्तर कुंजी के संबंध में अभ्यावेदन की जांच की जाएगी और इस संबंध में भाफ्रिटेस का निर्णय अंतिम होगा। अधिसूचित अवधि के बाद किसी भी उम्मीदवार से उत्तर कुंजी की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

- 2.7 100 अंक की परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक : सामान्य के लिए कुल 50 अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) और सामान्य - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 45 अंक, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और सामान्य - दिव्यांगजन के लिए 40 अंक। इसके अतिरिक्त, अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) - दिव्यांगजन के लिए 35 अंक और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दिव्यांगजन के लिए 30 अंक यदि उक्त जातियों के लिए रिक्ति आरक्षित है। सामान्य क्षमता (उप वर्गों के साथ) और विशिष्ट क्षेत्र के लिए कोई अलग उत्तीर्ण अंक नहीं हैं। 100 में से कुल अंकों पर विचार किया जाएगा।
- 2.8 कौशल परीक्षा, जहां भी लागू हो केवल उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी जो पीबीटी उत्तीर्ण होते हैं और इसकी सूचना उम्मीदवारों को ईमेल द्वारा दी जाएगी। कौशल परीक्षा अर्हक स्वरूप की होगी और अर्हक अंक 50% होंगे, भले ही वह किसी भी श्रेणी और/अथवा विकलांगता से संबंधित हो।
- 2.9 हिंदी टंकक लिपिक पद के लिए, 15 (पंद्रह) मिनट की अवधि के लिए लगभग 2000 (दो हजार) दबाव (डिप्रेसन) उत्तीर्ण करने के लिए टंकण कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- 2.10 आशुलिपिक के पद के लिए, कौशल परीक्षा मानदंड हैं;
श्रुतलेख(डिक्टेसन): 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट और लिप्यंतरण (ट्रांसक्रिप्शन): 50 मिनट (अंग्रेजी) और 65 मिनट (हिंदी) (केवल कंप्यूटर पर)।
आशुलिपि कौशल परीक्षा के अतिरिक्त, 15 (पंद्रह) मिनट की अवधि के लिए लगभग 2000 (दो हजार) दबाव (डिप्रेसन) उत्तीर्ण करने के लिए टंकण कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। कौशल परीक्षा के मूल्यांकन के संबंध में विस्तृत निर्देश अनुबंध-XV में दिए गए हैं।
- 2.11 शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवार उपर्युक्त टंकण परीक्षा के प्रयास से छूट के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि ऐसे उम्मीदवार सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी, अर्थात् सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सिविल सर्जन से निर्धारित प्रारूप अनुबंध-X में एक प्रमाण पत्र जमा करें जिसमें उसे शारीरिक अक्षमता के कारण टंकण परीक्षा के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया गया हो।
- 2.12 परीक्षा के किसी भी चरण के प्राप्तांक की दोबारा जांच / पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 2.13 मानकों में छूट के बिना अपनी क्षमता के आधार पर उत्तीर्ण हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) और बैंचमार्कदिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों को रिक्तियों के आरक्षित हिस्से के सामने समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को पद में अनारक्षित रिक्तियों के सामने समस्त

योग्यताक्रम में उनके स्थान के अनुसार या उनकी श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्तियों में से जो भी उनके लिए लाभदायक हो, समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और बैचमार्कदिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों से अलग से भरा जाएगा।

- 2.14 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) और बैचमार्कदिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) से जो उम्मीदवार आयु सीमा आदि जैसे शिथिल मानकों के आधार पर, उनके योग्यताक्रम के स्थान के बावजूद उत्तीर्ण होते हैं उन्हें आरक्षित रिक्तियों के सामने गिना जाएगा न कि अनारक्षित रिक्तियों के सामने। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के सामने भूतपूर्व सैनिकों की आयु में से प्रदान की गई सैन्य सेवा की कटौती स्वीकार्य है और इस तरह की छूट को आयु के संबंध में शिथिल मानक नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार, बैचमार्कदिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट, प्रतिपूरक समय के साथ लेखक के उपयोग को शिथिल मानक नहीं कहा जाएगा।
- 2.15 अपनी गुणवत्ता के आधार पर चुने गए दिव्यांगजन को अनारक्षित रिक्ति के सामने नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते वह पद संबंधित श्रेणी के दिव्यांगजन के लिए समझा गया हो।
- 2.16 परीक्षा में सफलता नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करती है जब तक कि भाफिटेंस इस तरह की जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा / पद पर नियुक्ति के लिए हर तरह से उपयुक्त है।
- 2.17 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि पीबीटी से पहले या बाद में किसी भी समय सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- 2.18 भूतपूर्व सैनिकों के मामले में, विज्ञापन के 12-30 पदों के परिणामस्वरूप 69 रिक्तियों के सामने भूतपूर्व सैनिकों के लिए 7 पद आरक्षित हैं। कौशल परीक्षा (जहां भी लागू हो) के बाद, यदि आरक्षित पदों की संख्या की तुलना में अधिक संख्या में भूतपूर्व सैनिक उत्तीर्ण होते हैं, तो आयु में बड़े उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार, ऐसी स्थिति में, सबसे बड़े से लेकर सबसे कम आयु के सभी उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिकों की एक योग्यताक्रम सूची तैयार की जाएगी और योग्यताक्रम और भूतपूर्व सैनिक जिस पद के लिए उत्तीर्ण हुए हैं उसके अनुसार इन 7 आरक्षित पदों को भरा जाएगा।
- 2.19 क्रमांक 8 के पद के मामले में, एक पद अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणियों के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त, इन 2 पदों में से 1 पद दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पीबीटी के आधार पर दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तीन योग्यताक्रम सूचियाँ तैयार की जाएँगी। पहला पद दिव्यांगजन उम्मीदवारों की योग्यताक्रम सूची से, अथवा तो अनुसूचित जाति दिव्यांगजन उम्मीदवार अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

दिव्यांगजन उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा। तदनुसार, दूसरा पद दिव्यांगजन उम्मीदवार की श्रेणी के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा। प्रतीक्षा सूची के लिए भी यही नियम लागू होगा।

इसी प्रकार, क्रमांक 28 के पद के मामले में, 6 पद सामान्य के लिए हैं और 2 अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) के लिए आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, इन 8 में से 1 पद दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पीबीटी के आधार पर दिव्यांगजन, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) की तीन योग्यताक्रम सूचियाँ तैयार की जाएंगी। पहला पद दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए योग्यता सूची से या तो सामान्य दिव्यांगजन उम्मीदवार या अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) दिव्यांगजन उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा। तदनुसार, शेष पद दिव्यांगजन उम्मीदवार की श्रेणी के आधार पर सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) उम्मीदवारों द्वारा भरे जाएंगे। प्रतीक्षा सूची के लिए भी यही नियम लागू होगा।

2.20 बराबरी के मामलों का समाधान: ऐसे मामलों में जहाँ एक से अधिक उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए पीबीटी में समान कुल अंक प्राप्त करते हैं, बराबरी का समाधान एक के बाद एक निम्नलिखित तरीके अपनाते हुए बराबरी का समाधान होने तक किया जाएगा:

क. विशिष्ट क्षेत्र में प्राप्त अंक

ख. सामान्य योग्यता में प्राप्त कुल अंक

ग. जन्म तिथि अर्थात् आयु में बड़े उम्मीदवार को वरीयता मिलेगी

घ. नाम का वर्णानुक्रम

3. आरक्षण:

3.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवार जिन्होंने आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन किया है, उन्हें निर्धारित प्रारूप में अपनी जाति की स्थिति के बारे में अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अनुबंध-I के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) के लिए- अनुबंध II और अनुलग्नक - III के अनुसार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए अनुलग्नक - IV के अनुसार एक वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3.2 दिव्यांगजन उम्मीदवार जिन्होंने उक्त बेंचमार्क दिव्यांगता के लिए आरक्षित पद के सामने आवेदन किया है, उन्हें अनुबंध - V/VI/VII (जो भी लागू हो) के अनुसार निर्धारित प्रारूप में एक वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

पेपर (ऑप्टिकल मार्क रीडर - ओएमआर) आधारित परीक्षा (पीबीटी) लिखने के लिए शारीरिक सीमाओं वाले दिव्यांगजन उम्मीदवारों को अनुलग्नक VIII के अनुसार प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता है। ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय और पीबीटी के समय अनुलग्नक IX के अनुसार एक वचनपत्र प्रस्तुत करने के समय इसकी सूचना देने के अधीन लेखक की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

आशुलिपिक के पद के लिए, पीबीटी के आधार पर, यदि किसी दिव्यांगजन उम्मीदवार को कौशल परीक्षा के लिए सूचीबद्ध किया जाता है, लेकिन टंकण कौशल परीक्षा में बैठने में शारीरिक कठिनाई होती है, तो उसे अनुबंध-X के अनुसार एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

- 3.3 अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एनसीएल की स्थिति के बारे में एक वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। आरक्षण ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों पर लागू होगा जो सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) की स्थिति के अंतर्गत नहीं आते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को केंद्र सरकार प्रारूप के अनुसार वैध अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, जाति का नाम और जाति संख्या जैसा कि उक्त अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) प्रमाण पत्र में कहा गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची के साथ मेल खाना चाहिए, जैसा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है ।
(www.ncbc.nic.in/UserPanel/CentralListStateView.aspx).
- 3.4 भूतपूर्व सैनिकों के लाभों का दावा करने वाले उम्मीदवारों को अनुबंध-XI के अनुसार सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र या सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है । दस्तावेज सत्यापन के समय, भूतपूर्व सैनिकों को अनुलग्नक-XII के अनुसार वचनपत्र जमा करना होगा।
- 3.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग - एनसीएल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और दिव्यांगजन आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो जमा करने में विफल रहने पर, दावा विचाराधीन नहीं लिया जाएगा ।
- 3.6 उम्मीदवार द्वारा समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त वह समापन तिथि पर अन्य पिछड़ा वर्ग - सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है, यह एक हस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र भी निर्धारित प्रारूप (अनुबंध- III) में प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
- 3.7 ऊपर उल्लेखित अनुसार, कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज जमा करने में विफल रहने पर, उम्मीदवार संबंधित दावा खो देंगे और उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी ।
- 3.8 जैसा कि रिक्ति विवरण में दर्शाया गया है, दिव्यांगजन संबंधित आरक्षित पद के साथ-साथ दिव्यांगजन के लिए अनारक्षित अन्य पद (पदों) के लिए उपयुक्तता के अधीन आवेदन कर सकते हैं । हालांकि, ऐसे उम्मीदवारों का योग्यता के सामान्य मानक द्वारा ऐसे पद (पदों) पर चयन के लिए विचार किया जाएगा। इसके अलावा, दिव्यांगजन उम्मीदवार द्वारा प्रतिपूरक समय के साथ

ली गई लिपिक की सुविधा को शिथिल मानक नहीं माना जाएगा। संबंधित दिव्यांगता 40% से कम न होने वाले व्यक्ति ही केवल आरक्षण के लाभ और नियमों के तहत अनुमेय अन्य छूट के पात्र होंगे।

- 3.9 यदि उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) आरक्षण या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण का दावा करना चाहता है, तो उसे अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) प्रमाणपत्र या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा, जो 01 अप्रैल 2023 के बाद जारी किया गया हो, ऐसा न करने पर उम्मीदवार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को अनारक्षित या रद्द माना जाएगा जैसा कि मामला हो।

4. रियायतें और छूट

- 4.1 सभी पदों के लिए दर्शाई गई आयु सीमा सामान्य आयु सीमा है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आयु में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक की छूट है। उक्त छूट केवल तभी लागू होती है जब संबंधित जाति के लिए रिक्तियां आरक्षित होती हैं।
- 4.2 बैचमार्कदिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आयु में 10 वर्ष की छूट स्वीकार्य होगी, भले ही पद दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते पद को दिव्यांगता की संबंधित श्रेणी के लिए उपयुक्त समझा गया हो और आवेदक की आयु 56 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल)दिव्यांगजन उम्मीदवारों को ऊपर उल्लेखित आयु में 10 वर्ष अधिक की आयु में छूट दी जाएगी, इस शर्त के अधीन कि उक्त जाति के लिए रिक्ति आरक्षित है अर्थात् अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति दिव्यांगजन के लिए 15 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) दिव्यांगजन के लिए 13 वर्ष।
- 4.3 भूतपूर्व सैनिकों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में सरकार द्वारा निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन सैन्य सेवा की लंबाई में छूट दी जाएगी। भारत की। इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में 03 वर्ष की छूट ऊपर उल्लेखित सैन्य सेवा की आयु में छूट के अतिरिक्त होगी, बशर्ते कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्ति आरक्षित हो।
- 4.4 भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के सेवकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए यह 45 वर्ष होगी, इस शर्त के अधीन कि उक्त जाति के लिए रिक्ति आरक्षित है। यह छूट केंद्र सरकार में 3 साल की लगातार सेवा वाले सरकारी सेवकों और उन पदों पर काम करने के लिए स्वीकार्य होगी जो एक ही पंक्ति या संबद्ध संवर्ग में हैं और जहां एक संबंध स्थापित किया जा सकता

है कि उस विशेष पद पर पहले से की गई सेवा उनके लिए उपयोगी होगी। जिस पद पर भर्ती की जा रही है, उसके कर्तव्यों का कुशल निर्वहन। इस संबंध में निर्णय भाफ्रिटेस के पास रहेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी श्रेणी से संबंधित होने का दावा करनेवाले और इस प्रकार आयु में छूट चाहने वाले उम्मीदवार को, कार्यालय के शीर्ष पत्र पर अपने नियोक्ता से विज्ञापन की तिथि के बाद दिनांकित एक प्रमाणपत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा, कि वह अनुबंध-XIII के अनुसार नियमित रूप से नियुक्त केंद्र सरकार का / की कर्मचारी है और आकस्मिक/तदर्थ/दैनिक वेतन/प्रति घंटा भुगतान/अनुबंध आधार पर कर्मचारी नहीं है।

- 4.5 यदि कोई विकलांग व्यक्ति केंद्र सरकार का कर्मचारी होने के कारण आयु में छूट पाने का हकदार है, तो उसे 'दिव्यांगजन' अथवा 'केंद्र सरकार के कर्मचारी' के रूप में छूट, जो भी उसके लिए अधिक लाभकारक हो, स्वीकार्य होगी।
- 4.6 केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों/उपक्रमों अथवा केंद्र सरकार की समितियों के कर्मचारियों और भाफ्रिटेस के नियमित कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
- 4.7 भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार, 35 वर्ष की आयु तक पुनर्विवाह नहीं किए विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष होगा, बशर्ते उक्त जाति के लिए रिक्ति आरक्षित हो।
- 4.8 एक उम्मीदवार समुदाय आरक्षण का लाभ पाने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब उम्मीदवार जिस विशेष जाति से संबंधित है, वह केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदायों की सूची में शामिल है। यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में इंगित करता है कि वह अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य श्रेणी से संबंधित है, लेकिन बाद में अपनी श्रेणी बदलने के लिए भाफ्रिटेस को लिखता है, तो भाफ्रिटेस द्वारा इस तरह के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. परीक्षा केंद्र:

- 5.1 पीबीटी नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में आयोजित की जाएगी।
- 5.2 उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस परीक्षा केंद्र का उल्लेख करें, जहाँ से वह परीक्षा देना चाहता/चाहती हो। उम्मीदवार प्राथमिकता के क्रम में तीन केंद्रों का विकल्प दें। बाद में किसी भी परिस्थिति में केन्द्र परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवार केंद्रों का चयन सावधानी से करें और अपने आवेदन में सही ढंग से इंगित करें।
- 5.3 जो उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन भर रहे हैं, उन्हें परीक्षा शहर के एक ही विकल्प का चयन करने की सलाह दी जाती है क्योंकि विभिन्न पदों के लिए पीबीटी कुछ लगातार दिनों के भीतर पाली में आयोजित किया जा सकता है। यदि वे अलग-अलग पदों के सामने अलग-अलग शहर चुनते हैं, तो वे परीक्षा में शामिल होने के लिए दूसरे शहर में नहीं पहुंच पाएंगे।
- 5.4 भाफ्रिटेस उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। हालांकि, भाफ्रिटेस किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के उम्मीदवारों को दूसरे केंद्र से उपस्थित होने

के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भाफ़िटेसं परीक्षा देने के लिए किसी भी केंद्र के उम्मीदवारों को किसी अन्य केंद्र पर भेजने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. आवेदन कैसे करें

- 6.1 आवेदन केवल ऑनलाइन ही प्राप्त होंगे। उम्मीदवारों को <https://ftiirecruitment.in/> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन के अन्य माध्यम अथवा ऑफलाइन आवेदन को अस्वीकृत होगा। उम्मीदवारों के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी हो और वे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने लॉगिन क्रेडेंशियल साझा न करें। इस भर्ती की अवधि के दौरान ईमेल आईडी को सक्रिय रखें। सभी पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के संबंध में ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी नहीं है, तो वे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ईमेल आईडी बनाएं।
- 6.2 आवेदन पत्र भरने से पहले आवेदकों को यह सुनिश्चित करें कि वे जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके लिए सभी आवश्यक योग्यताएं, व्यावसायिक अनुभव और अन्य आवश्यकताएं पूरी करते हैं।
- 6.3 उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरणों को ध्यान से भरें और जहां भी पूछा हो / आवश्यक हो, आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।
- 6.4 उम्मीदवारों को अपलोड करना होगा;
 - 6.4.1 आवेदन में आवेदकों द्वारा किए गए सभी दावों के समर्थन में दस्तावेज / प्रमाण पत्र जैसे, जन्म तिथि, आवश्यक योग्यता (ओं), आदि जहां भी लागू हो या कोई अन्य जानकारी, पीडीएफ फाइल में प्रत्येक दावे के सामने अलग से इस तरह से कि फ़ाइल का आकार प्रति दस्तावेज़ 200 केबी से अधिक न हो और प्रिंटआउट लेने पर यह पढ़ा जा सके। हालांकि, उपरोक्त के अतिरिक्त, केवल दावा किए गए अनुभव के समर्थन में दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के लिए, कथित ऊपरी फ़ाइल आकार सीमा 1 एमबी होनी चाहिए।
 - 6.4.2 मैट्रिक परीक्षा /10वीं कक्षा या समकक्ष प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि दर्शाई गई हो, या केंद्रीय/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक/10वीं कक्षा या समकक्ष की मार्कशीट जिसमें आयु के दावे के समर्थन में जन्म तिथि दर्शाई गई हो।
 - 6.4.3 यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार समकक्ष योग्यता के रूप में किसी विशेष योग्यता का दावा कर रहे हैं तो वे दावा किए गए समकक्ष शैक्षिक योग्यता के संबंध में आदेश / पत्र, प्राधिकरण को दर्शाते हुए (संख्या और तारीख के साथ)जिसके अधीन उसे आवश्यक योग्यता में समकक्ष उपनियम के संबंध में माना गया है।
 - 6.4.4 पूरे अनुभव का दावा करते समय अनुभव प्रमाणपत्र में धारित पद, नौकरी / नियुक्ति की अवधि (तारीख, महीना और वर्ष), किए गए काम का स्वरूप / अवधि सहित पद पर प्राप्त अनुभव का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।

- 6.4.5 सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार की जाति, जिस अधिनियम /आदेश अंतर्गत उसकी जाति अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) मान्यता प्राप्त है और सामान्यतः उम्मीदवार जिस गाँव /नगर का निवासी है यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) के रूप में आरक्षण मांगने वाले उम्मीदवार द्वारा जाति प्रमाण पत्र ।
- 6.4.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण मांगने वाले उम्मीदवार द्वारा भारत सरकार के दिशानिर्देश अनुसार निर्धारित प्रारूप में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का प्रमाण पत्र ।
- 6.4.7 अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर सम्पन्न वर्ग (एनसीएल) के रूप में आरक्षण मांगने वाले उम्मीदवार द्वारा समुदाय प्रमाणपत्र (ओबीसी) के अतिरिक्त निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र , कि निर्णायक तिथि पर वह सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है । जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, पद के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि को निर्णायक तिथि माना जाएगा ।
- 6.4.8 मेडिकल फिटनेस के निर्धारित मानकों के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र । दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित एक मेडिकल बोर्ड होगा । केंद्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले मेडिकल बोर्ड का गठन करें जिसमें कम से कम एक सदस्य चलन / दिमागी / दृश्य / श्रवण अक्षमता का आकलन करने में विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ, हो जैसा भी मामला हो ।
- 6.4.9 भूतपूर्व सैनिक दावे के समर्थन में दस्तावेज़ ।
- 6.4.10 अन्य किसी किए गए दावे के समर्थन में दस्तावेज़ ।

ऊपर बिंदु सं. 6.4 पर बताए गए किसी भी निर्देश का पालन न करने पर उम्मीदवार संबंधित दावे को खो देंगे और उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

- 6.5 ऑनलाइन आवेदन पत्र में, उम्मीदवारों को जेपीजी / जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ और हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का हों और चेहरे का सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दें । उम्मीदवार द्वारा हाल ही में, स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य पासपोर्ट आकार की तस्वीर (4.5 सेमी x 3.5 सेमी) अपलोड की जाएँ । यदि उम्मीदवार उचित फोटो अपलोड नहीं करते हैं , तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । हस्ताक्षर के संबंध में, आवेदक को सफेद कागज पर नीले या काले रंग की स्याही/जेल पेन से हस्ताक्षर करें । हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6 सेमी (चौड़ाई) x 2 सेमी (ऊंचाई) हों और अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट और सुपाठ्य हों । उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी

जाती है कि, प्रक्रिया पूरी होने तक वे अपना रूप न बदलें। प्रक्रिया के किसी भी चरण में तस्वीर या हस्ताक्षर के बारे में कोई संदेह अयोग्यता का कारण बन सकता है। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि, उम्मीदवार आवेदन के समय अपलोड की गई तस्वीर की लगभग 8 प्रतियां अपने पास रखें क्योंकि चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में इनकी आवश्यकता होगी।

- 6.6 जो आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना चाहिए और निर्धारित तरीके से प्रत्येक पद के लिए शुल्क का भुगतान करना चाहिए।
- 6.7 आवेदक एक ही लॉग इन आईडी और पासवर्ड के साथ कई पदों पर आवेदन कर सकते हैं।
- 6.8 यदि प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो आधिकारिक अनुवादित दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी/अंग्रेजी में, सार्वजनिक नोटरी द्वारा नोटरीकृत, ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर उम्मीदवार संबंधित दावा खो देंगे और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- 6.9 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय दिनांक 29.05.2023 शाम 6 बजे तक होगा।
- 6.10 आवेदकों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि, अंतिम तिथि से बहुत पहले भुगतान करें और ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर भारी लोड के कारण वियोग (डिस्कनेक्शन) / प्रक्रिया (प्रोसेस) करने में असमर्थता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें।

7. आवेदन शुल्क

- 7.1 प्रत्येक पद के लिए आवेदन शुल्क 1,000/- रुपये है।
- 7.2 नकद, डिमांड ड्राफ्ट, डाक आदेश, चेक आदि भेजने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 7.3 एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा।
- 7.4 महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति (अ.जा), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) और आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों (भू.प्र.सै.) को आवेदन शुल्क के भुगतान करने से छूट दी गई है।
- 7.5 सामान्य (यूआर)/ओबीसी - एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/पूर्व सैनिकों के पुरुष उम्मीदवारों को आरक्षण के लिए शुल्क में छूट नहीं दिया गया है और उन्हें पूर्ण निर्धारित शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

7.6 जिन उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क जमा हो गया है। नियत तिथि के बाद प्राप्त निर्धारित शुल्क या शुल्क के बिना आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस प्रकार की अस्वीकृति के विरुद्ध या किसी प्रकार के अनुरोध अथवा प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.7 एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य चयन अथवा पाठ्यक्रम के लिए समायोजित किया जाएगा।

7.8 एक बार भुगतान हो जाने के बाद, भुगतान की प्राप्ति को डिजिटल रूप से संग्रहीत करें।

यह निम्नलिखित में से एक तरीके से किया जा सकता है;

7.8.1 भुगतान की प्राप्ति का प्रिंटआउट लेकर, स्कैन कर और इसे सहेजें।

7.8.2 भुगतान का स्क्रीनशॉट (यदि मोबाइल का उपयोग कर रहा हो) या प्रिंट स्क्रीन (यदि कंप्यूटर का उपयोग कर रहा हो) लेकर रखें।

7.8.3 मोबाइल से केवल एक तस्वीर लेकर रखें।

8. उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजों/छवियों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होंगी जैसे:

8.1 मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक प्रमाण पत्र

8.2 शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र

8.3 अनुभव प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।

8.4 निर्धारित प्रारूप में जाति / श्रेणी प्रमाणपत्र, , यदि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित है।

8.5 ओबीसी - एनसीएल आवेदक द्वारा स्व-घोषणा ।

8.6 निर्धारित प्रारूप में बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति, यदि लागू हो।

8.7 आयु-सीमा में छूट मांगने वालों के लिए संबंधित प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।

8.8 जो उम्मीदवार द्वारा मैट्रिकुलेशन के बाद, शादी या दूसरी शादी या तलाक आदि के बाद नाम परिवर्तन का दावा करता है से संबंधित दस्तावेज।

8.9 हाल ही में रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो।

8.10 हस्ताक्षर की छवि.

9. कृपया आवेदक इस विस्तृत विज्ञापन को किसी अन्य अतिरिक्त दस्तावेज (दस्तावेजों) की आवश्यकता के लिए ध्यानपूर्वक पढ़ लें। एक बार प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन पत्र में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है।

10. अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता

10.1 बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के मामले में, उम्मीदवार द्वारा प्रलिपिक (स्क्राइब) होने पर, अपने स्वयं के खर्च पर इसकी व्यवस्था करके लेखक की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

10.2 अनुबंध - VIII पर दिए गए प्रारूप के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी और से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।

10.3 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 29-6/2019-डीडी-III दिनांक 10.08.2022 के अनुसरण में 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को लेखक की सुविधा की अनुमति दी जाएगी। अनुबंध-VIII के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सुविधा प्रदान की जाएगी।

10.4 दिव्यांगजन उम्मीदवारों को प्रलिपिक की सुविधा केवल तभी प्रदान की जाएगी, जब उन्होंने ऑनलाइन आवेदनपत्र में इसका विकल्प चुना हो।

10.5 उम्मीदवार को अपने प्रलिपिक (स्क्राइब) स्वयं के खर्चे पर लाना होगा।

10.6 प्रतिलिपिक की योग्यता परीक्षा दे रहे उम्मीदवार की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए अपने प्रतिलिपिक के लिए विकल्प दे रहे न्यूनतम मानदंड वाले उम्मीदवारों को अनुबंध -IX पर दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त प्रलिपिक को परीक्षा के समय मूल रूप में (पैरा 13.5 में दी गई सूची के अनुसार) वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध -IX पर दिए गए प्रारूप के साथ उम्मीदवार को प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता , उम्मीदवार द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है , तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को उस पद के लिए दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10.7 उम्मीदवार का स्वयं का प्रलिपिक इस पीबीटी का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार इस पीबीटी में किसी अन्य दिव्यांग उम्मीदवार की सहायता करते हुए पाया जाता है, तो दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

10.8 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 10.1, 10.2 और 10.3 में यथा वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रतिलिपि की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

10.9 उपरोक्त पैरा 10.1, 10.2 और 10.3 में संदर्भित उम्मीदवार, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

10.10 परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र उम्मीदवारों के लिए प्रलिपिक के अलावा किसी परिचर को आने अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.11 एक आंख वाले और आंशिक रूप से दृष्टिहीन उम्मीदवार जो आवर्धक लेंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक (मैग्नीफाइंग ग्लास) के सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लेंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना या दर्शना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लेंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लेंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा।

10.12 शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवार, जिन्होंने प्रलिपिक /पाठ वाचक की सुविधा और / या अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय प्रलिपिक/ अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे समर्थक दस्तावेजों को प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा।

11. सामान्य निर्देश:

11.1 सरकार एक ऐसे कार्यबल के लिए प्रयासरत हैं, जो जो लिंग संतुलन को दर्शाते हों और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

11.2 आवेदन करने वाले आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं और सभी चरणों में उनकी स्थिति विशुद्ध रूप से प्रावधानिक होगी, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता

शर्तों को पूरा करते हों। दस्तावेज सत्यापन से पहले या बाद में किसी भी समय, यदि यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी भा.फि.टे.सं के द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

11.3 सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में कार्यरत आवेदकों को आवेदन करने से पहले संबंधित संगठन से पूर्वानुमोदन लेना चाहिए।

11.4 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग - एनसीएल / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी / ईएसएम आदि के लिए उपलब्ध आरक्षण / रियायत / छूट लाभ चाहने वाले आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे विज्ञापन में निर्धारित पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण / रियायत / छूट आदि के हकदार हैं। और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ऐसा करने में विफल रहने पर, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग - एनसीएल / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी / ईएसएम आदि श्रेणी और या दावा की गई रियायत / छूट आदि के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस विज्ञापन के साथ संलग्न हैं। इसी तरह, आवेदकों को शैक्षिक योग्यता / अनुभव आदि के लिए को समर्थन दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

11.5 भाफिटेस में भर्ती के लिए सामान्य न्यूनतम आयु '18 साल' की (पूर्ण वर्षों में) है।

11.6 ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरी गई जन्म तिथि और वही मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज की गयी निर्धारित आयु भा.फि.टे.सं द्वारा स्वीकार की जाएगी और बाद में परिवर्तन या किसी अनुरोध पर नहीं विचार किया जाएगा।

11.7 आवेदकों को मैट्रिक प्रमाण पत्र में दिया अपना नाम, जन्मतिथि, पिता/माता का नाम अवश्य लिखना चाहिए। अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद, जब भी भा.फि.टे.सं के ध्यान में आएगा उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।

11.8 अपठनीय/धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा संक्षेप में।

11.9 सभी प्रकार से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी- 29.05.2023, शाम 6 बजे।

11.10 प्रत्येक में सभी आवेदकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि, जब तक कि निर्दिष्ट न किया गया हो, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी।

11.11 ओबीसी - एनसीएल प्रमाणपत्र के लिए ऊपर बताई गई महत्वपूर्ण तिथि समान होगी।

इस प्रकार, ओबीसी - एनसीएल के तहत आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों के पास एक वैधप्रमाण पत्र होना चाहिए। ओबीसी - केंद्रीय सरकार के अनुसार महत्वपूर्ण तिथि के अनुसार एनसीएल प्रमाण पत्र

। आवश्यकताएं और उक्त प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, उक्त संलग्न प्रमाण पत्र के मूल को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। उपरोक्त शर्तों का पालन करने में विफल रहने पर, आवेदक करेगा, ओबीसी-एनसीएल आरक्षण के खिलाफ अपना दावा खो दें।

11.12 आवेदक यह भी ध्यान दें कि नियुक्ति अधिकार द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता सत्यापित होने तक उनकी उम्मीदवारी प्रावधानिक रहेगी। आवेदकों को आगाह किया जाता है कि एससी/एसटी/ओबीसी - एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/ईएसएम का फर्जी दावा करने के मामले में कानूनी अथवा अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

11.13 दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेजों की जांच होने पर कोई सूचना या दावा प्रमाणित / आवश्यकता के अनुसार न मिलने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इस संबंध में भाफिटेंस का निर्णय अंतिम होगा।

11.14 पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति /अस्वीकृति, झूठी सूचना के लिए जुर्माना और अन्य सभी मामले या भर्ती प्रक्रिया के संचालन से संबंधित सभी मामलों में आवेदकों पर एफटीआईआई का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.15 किसी पद (पदों) के लिए आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में, एफटीआईआई हो सकता है। बुलाए जाने वाले की संख्या को सीमित करने के लिए शॉर्टलिस्टिंग मानदंड अपनाएं। निम्नलिखित पध्दति से किसी एक या अधिक द्वारा उचित संख्या में आवेदकों को पीबीटी के लिए बुलाया जाए।

11.15.1 वांछनीय योग्यता (डीक्यू) या किसी एक या सभी के आधार पर वांछनीय योग्यता (डीक्यू) की यदि एक से अधिक वांछनीय योग्यता (डीक्यू) निर्धारित है।

11.15.2 विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम की तुलना में उच्च शैक्षिक योग्यता के आधार पर।

11.15.3 विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम की तुलना में संबंधित क्षेत्र में उच्च अनुभव के आधार पर।

11.15.4 उन मामलों में भी जहां अनुभव का आह्वान करके, जहां कोई अनुभव नहीं है तो आवश्यक योग्यता (ईक्यू) या वांछनीय योग्यता (डीक्यू) के रूप में उल्लिखित है।

11.16 इसलिए, आवेदक को अपने प्रासंगिक क्षेत्र में अपनी न्यूनतम योग्यता के ऊपर और ऊपर अनुभव और सभी योग्यताओं का उल्लेख करना चाहिए।

11.17 योग्य उम्मीदवारों को पीबीटी और कौशल परीक्षा (जहां लागू हो) के लिए दिनांक और समय केवल उनके पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा। जिन्हें पीबीटी और

कौशल परीक्षा (जहां लागू हो) के लिए नहीं बुलाया गया है, उन उम्मीदवारों के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

11.18 उम्मीदवारों को केवल पीबीटी सहित कौशल परीक्षा (जहां लागू हो) और ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावे के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों के साथ प्रदान किये गये जानकारी के आधार पर शॉर्ट-लिस्ट किया जाएगा। तभी ऑनलाइन आवेदन की जांच की जाएगी, जब उम्मीदवार प्रथम दृष्टया ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे की योग्यता और अनुभव, विज्ञापन की शर्तों और शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए अपनाए गए तौर-तरीकें और मानदंडों के जानकारी के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए जाने के लिए पात्रता होंगे। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तुत की गई जानकारी सत्य है। यदि दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी भी स्तर पर, उनके द्वारा दी गई जानकारी या ऑनलाइन आवेदनों में उनके द्वारा किए गए किसी भी दावा गलत/भ्रामक पाया जाता है, तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

11.19 जो उम्मीदवार मैट्रिकुलेशन के बाद, शादी, दूसरी शादी या तलाक के बाद नाम परिवर्तन का दावा करता है, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे।

11.20 महिला की शादी के मामले में पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह - रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या शपथ - आयुक्त के सामने पति - पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा। 11.21 महिला की दूसरी शादी के मामले में तलाकनामा / या पहले पति की अगर मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र और वर्तमान पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह - रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या शपथ - आयुक्त के सामने पति - पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा। 11.22 महिला के तलाक के मामले में लाना की प्रमाणित प्रति और एक पक्षीय विलेख / शपथ - आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा।

11.23 दूसरी परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के नाम परिवर्तन के लिए एक पक्षीय विलेख / शपथ - आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा और दो प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित अखबार की मूल कटिंग (एक दैनिक अखबार उम्मीदवार के स्थायी और वर्तमान पते या आस - पास के क्षेत्र की होनी चाहिए या गजट अधिसूचना।

11.24 सभी लागू छूटों/रियायतों आदि को लागू करने के बाद, आवेदक की अधिकतम आयु सीमा अंतिम तिथि (ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि) को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11.25 श्रेणीवार पीबीटी में उम्मीदवारों को कम से कम सामान्य/ईडब्ल्यूएस = 50 अंक, ओबीसी-एनसीएल = 45 अंक, अ.जा./अ.ज.जा/दिव्यांग = 40 अंक होगा, पीबीटी के कुल अंकों में से 100 होगा। हालांकि, अ.जा./अ.ज.जा/ओबीसी / ईडब्ल्यूएस / दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जो सामान्य (यूआर) पद के आवेदन कर रहे हैं, ऐसे मामले में, उम्मीदवार को पीबीटी के कुल 100 अंकों में से कम से कम 50 अंकों लाने होंगे। इसके अतिरिक्त, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी के लिए 35 अंक, अ.जा./अ.ज.जा/ओबीसी के लिए 30 अंक, इस शर्त के अधीन कि रिक्ति दिव्यांग के लिए संबंधित श्रेणी सहित आरक्षित है।

11.26 हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। इसे क्षेत्रीय भाषा(ओं) में भी प्रकाशित किया जा सकता है। अनुदित संस्करण (संस्करणों) में किसी भी तरह की विसंगति या भिन्नता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण में प्रदान किए गए पाठ को अंतिम माना जाएगा।

11.27 किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार करने पर उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा।

11.28 भाफिटेशन, अपने विवेकानुसार, आवश्यकता पड़ने पर पुनः परीक्षा आयोजित कर सकता है। ऐसी स्थिति में, उम्मीदवार को स्वयं के खर्चे पर पुनः परीक्षा में शामिल होना होगा।

11.29 भाफिटेशन विज्ञापित पद को बिना कोई कारण बताए भरने या न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

11.30 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती के संबंध में किसी भी संचार/शुद्धिपत्र के लिए संस्थान की वेबसाइट अर्थात् www.ftii.ac.in देखें। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भर्ती के संबंध में कोई संचार छूट न जाए, उनके पंजीकृत ईमेल की जांच करनी चाहिए।

11.31 इस भर्ती से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में या अन्यथा कोई भी विवाद केवल पुणे या बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

12. यात्रा भत्ता

पीबीटी और या कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी भी उम्मीदवार को टीए/डीए या किसी अन्य व्यय का भुगतान या प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। हालांकि, अ.जा./अ.ज.जा उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है, उन्हें उम्मीदवार के सामान्य निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से दस्तावेज सत्यापन के स्थान के लिए सबसे छोटे मार्ग से एकल द्वितीय श्रेणी के रेलवे किराए का भुगतान किया जाएगा या जहां से वह वास्तव में यात्रा करता है, जो भी हो, दस्तावेज सत्यापन के स्थान के करीब है, और उसी स्टेशन पर वापस जाएं या उम्मीदवार द्वारा वास्तव में किए गए रेलवे किराए की राशि, जो भी कम हो, अ.जा./अ.ज.जा से संबंधित होने के प्रमाणपत्र और यात्रा टिकटों की फोटोकॉपी प्रस्तुत करने पर।

13. परीक्षा में प्रवेश

13.1 उन सभी उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (प्रश्नपत्र) में बैठने के लिए रोल नम्बर और प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा , जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित (प्रथम दृष्टया जांच के बाद हो सकता है) पाए जाते हैं और भाफिटेस द्वारा पीबीटी की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। इस के बाद इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण की पीबीटी के लिए प्रवेश - पत्र जारी किया जाएगा। प्रवेश-पत्र की उचित हार्डकॉपी के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में पीबीटी के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दिया जाएगा।

13.2 भाफिटेस पीबीटी परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की गहन जांच नहीं करेगा और इसलिए अभ्यर्थिता सिर्फ अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवारों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता , अनुभव इत्यादि को ध्यान पूर्वक देख कर स्वयं को संतुष्ट करें कि वे उस पढ़ (पदों) के लिए पात्र है। उनकी शैक्षिक योग्यता (ईक्यू) और जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को भाफिटेस द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय ईक्यू/जाति/श्रेणी आदि के प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद सत्यापित किया जाएगा, यदि कोई हो, आवेदन में किए गए दावे की पुष्टि प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों से नहीं होती है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन के समय कोई अतिरिक्त/नया दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी दावे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय संलग्न दस्तावेजों के आधार पर होंगे।

13.3 पीबीटी के लिए प्रवेश -पत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा।

13.4 प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा वेबसाइट पर परीक्षा से 15 दिन पूर्व उपलब्ध होगी। उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र की प्रिंट आउट प्रति लेकर आना होगा।

13.5 प्रवेश - पत्र के अलावा , उम्मीदवार को हाल के दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो प्रवेश पत्र पर छपी जन्म तिथि के प्रमाण के लिए फोटो लगा कम से कम एक पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना होगा , जैसे

13.5.1 आधार कार्ड / ई - आधार का प्रिंट आउट

13.5.2 मतदाता पहचान पत्र कार्ड

13.5.3 ड्राइविंग लाइसेंस

13.5.4 पासपोर्ट

13.5.5 नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी / उपक्रम)

13.6.6 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा पंजिका

15.7.7 केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र

13.6 पैरा -10 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा लेने वाले दिव्यांगजन उम्मीदवार को अपने साथ जरूरी चिकित्सा प्रमाण - पत्र / वचन - पर / दिव्यांगजन के फोटो पहचान - पत्र की प्रति जैसा इसमें निर्दिष्ट किया गया है , लाना होगा । बिना उपरोक्त दस्तावेज के उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिया जाएगा ।

13.7 पीबीटी में बैठने के लिए प्रवेश - पत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज भी उम्मीदवार अपने साथ लाना होगा ।

13.8 धुंधला फोटोग्राफ और /या हस्ताक्षर युक्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे ।

13.9 पीबीटी के साथ-साथ कौशल परीक्षा (जहां लागू हो) के लिए उपस्थित होने पर, उम्मीदवारों को कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है । इसलिए, उन्हें परीक्षा हॉल के अंदर नहीं लाना चाहिए । यदि किसी उम्मीदवार के पास मोबाइल फोन या वायरलेस कम्युनिकेशन / इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कोई अन्य माध्यम है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । पीबीटी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा, जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा । यदि, सत्यापन पर, पीबीटी से पहले या बाद में किसी भी समय, यह पाया जाता है कि वे किसी भी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो भाफिटेशन द्वारा पीबीटी के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

13.10 उम्मीदवारों को किसी अन्य आधार के लिए भर्ती के किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है जिसे भाफिटेशन उम्मीदवारी रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण मानता है।

14. दस्तावेज सत्यापन (डी.वी.)

14.1 पीबीटी और कौशल परीक्षा (जहां भी लागू हो) के परिणाम घोषित होने के बाद, भाफिटेशन द्वारा चयनित उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन (डीवी), परिणाम की योग्यता और संबंधित पदों के प्रतिकूल रिक्तियों के अनुसार संचालित किया जाएगा।

14.2 दस्तावेज सत्यापन के समय, उम्मीदवारों को मूल (जो लागू हो) प्रस्तुत करना होगा और निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी जमा करनी होगी:

14.4.1 मेट्रिकुलेशन/ सेकेण्डरी प्रमाणपत्र अर्थात् 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण (मूल प्रस्तुत करना होगा)

14.2.2 हायर सेकेण्डरी प्रमाणपत्र अर्थात् 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, यदि लागू हो (मूल प्रस्तुत करना होगा)

14.2.3 स्नातक प्रमाणपत्र / सभी सेमेस्टर या वर्ष उत्तीर्ण मार्कशीट, यदि लागू हो (मूल प्रस्तुत करना होगा)

14.2.4 आईटीआई/डिप्लोमा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, यदि लागू हो (मूल प्रस्तुत करना होगा)

14.2.5 सभी अनुभव प्रमाण पत्र, यदि लागू हो (मूल प्रस्तुत करना होगा)

14.2.6 समतुल्य शैक्षिक योग्यता और समकक्ष बोर्ड/विश्वविद्यालय के संबंध में आदेश/पत्र, जिसमें आवश्यक योग्यता और बोर्ड/विश्वविद्यालय में समकक्ष खंड के संबंध में प्राधिकारी द्वारा (संख्या और दिनांक सहित) को दर्शाया गया हो, समतुल्य योग्यता के रूप में, यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता का दावा कर रहा है।

14.2.7 जाति / वर्ग प्रमाण - पत्र , यदि आरक्षित वर्ग से है ।

14.2.8 निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगजन प्रमाण पत्र , (मूल प्रस्तुत करना होगा)

14.2.9 भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) के लिए , यदि लागू हो (मूल प्रस्तुत करना होगा)

14.2.9.1. अनुबंध- XI के अनुसार कार्यरत रक्षा कर्मी प्रमाण पत्र , यदि लागू हो

14.2.9.2. अनुबंध- XII के अनुसार वचन पत्र

14.2.9.3. सेवा - मुक्ति प्रमाण - पत्र , यदि उम्मीदवार सशस्त्र सेना से सेवा मुक्त हुआ हो ।

14.2.10. आयु सीमा में छूट मांगने वालों के लिए संबन्धित दस्तावेज । (मूल प्रस्तुत करना होगा)

14.2.11. अनापति प्रमाण - पत्र , सरकारी / सरकारी उपक्रम में कार्यरत उम्मीदवार के लिए ।

(मूल प्रस्तुत करना होगा)

14.2.12 जो उम्मीदवार मेट्रिकुलेशन के बाद, शादी , दूसरी शादी या तलाक के बाद नाम परिवर्तन का दावा करता है , उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे .

14.2.12.1. महिला की शादी के मामले में पति के पासपोर्ट (मूल प्रस्तुत करना होगा) की प्रतिलिपि जिसमें पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह - रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या शपथ - आयुक्त के सामने पति - पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा ।

14.2.12.2. महिला की दूसरी शादी के मामले में तलाकनामा / या पहले पति की अगर मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र और वर्तमान पति के पासपोर्ट (मूल प्रस्तुत करना होगा) की प्रतिलिपि

जिसमे पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह - रजिस्ट्रार (मूल प्रस्तुत करना होगा) द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या शपथ - आयुक्त के सामने पति - पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा(मूल प्रस्तुत करना होगा) ।

14.2.12.3. महिला के तलाक के मामले में लाना की प्रमाणित प्रति और एक पक्षीय विलेख / शपथ - आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा ।

14.2.12.4. दूसरी परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के नाम परिवर्तन के लिए एक पक्षीय विलेख / शपथ - आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा और दो प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित अखबार की मूल कटिंग (एक दैनिक अखबार उम्मीदवार के स्थायी और वर्तमान पते या आस -पास के क्षेत्र की होनी चाहिए या गजट अधिसूचना (मूल प्रस्तुत करना होगा) ।

14.2.12.5. प्रवेश - पत्र में उल्लिखित दस्तावेज सत्यापन के लिए जरूरी कोई अन्य दस्तावेज ।

14.3 यदि उम्मीदवार स्थान, दिनांक और समय (जिसे बाद में सूचित किया जाएगा) पर दस्तावेज सत्यापन के लिए रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो वह उक्त चयन का दावा खो सकता है।

15. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवार के विरुद्ध कार्रवाई :-

15.1 यदि उम्मीदवार परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और भविष्य में होने वाले भर्तियों से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा ।

क्र.सं.	कदाचार का प्रकार	वंचित अवधि
1.	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री जैसे रफ शीट प्रवेश पत्र की भाफिटेंस की प्रति, उत्तर शीट लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देना ।	2 वर्ष
2.	परीक्षा के दौरान बिना सूचना के परीक्षा स्थल से बाहर जाना ।	2 वर्ष
3.	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा भाफिटेंस के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना धमकाना ।	3 वर्ष
4.	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य उम्मीदवारों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना ।	3 वर्ष
5.	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना ,जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना	3 वर्ष
6.	अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना ।	3 वर्ष
7.	स्विच ऑन अथवा स्विच ऑफ मोड में मोबाइल फोन रखना ।	3 वर्ष
8.	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना ।	3 वर्ष
9.	कोई उम्मीदवार जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो ।	3 वर्ष
10.	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/ उपकरणों को नुकसान पहुंचाना ।	5 वर्ष
11.	जाली प्रवेश पत्र, पहचान पत्र से परीक्षा देना ।	5 वर्ष
12.	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्रों/ हथियारों को रखना ।	5 वर्ष

13.	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा भाफिटेस के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना ।	7 वर्ष
14.	आग्नेयास्त्रों/ हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना ।	7 वर्ष
15.	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे - कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अधिकृत स्रोतों से नकल करना ।	7 वर्ष
16.	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना ।	7 वर्ष
17.	छद्मवेषण/ किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराना ।	7 वर्ष
18.	स्नेपशॉट लेना, प्रश्न पत्रों अथवा परीक्षा समग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना ।	7 वर्ष
19.	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना ।	7 वर्ष
20.	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड़- तोड़ करने की कोशिश करना ।	7 वर्ष

15.2 भाफिटेस , यदि उचित समझे , तो इस मामले को पुलिस / जाँच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है । इसके अतिरिक्त, भाफिटेस संबंधित अधिकारियों / फॉरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जाँच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है ।

16. भाफिटेस (एफटीआईआई) का निर्णय अंतिम : पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शस्ति, चयन की पद्धति, पीबीटी/ परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षा केंद्रों के आबंटन, भर्ती प्रक्रिया सहित कदाचार में लिप्त होने पर वंचित किए जाने संबंधी सभी मामलों में भाफिटेस का निर्णय अंतिम होगा तथा उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/ पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

17. सावधानी की सूचना - सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे ने अपनी ओर से कार्य करने के लिए किसी भी एजेंट या कोचिंग सेंटर को नियुक्त नहीं किया है । उम्मीदवारों को किसी भी व्यक्तियों/एजेंसी द्वारा किए गए किसी दावों के संदर्भ में चेतावनी दी जाती है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को दलालों और नौकरी दिलाने वाले जलसाजों से सतर्क रहें सावधान रहें । जो उन्हें प्रभावित करने या अनुचित या अनैतिक तरीकों के उपयोग से भाफिटेस (एफटीआईआई) में नौकरी दिलाने के झूठे वादों से धोखा देने की प्रयास कर रहे हैं । उम्मीदवारों का चयन पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगा । कृपया असामाजिक तत्वों से सावधान रहें और उनके झांसे में न आएं ।

**कुलसचिव.
भाफिटेस,पुणे**

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री / कुमारी*.....
पुत्र/पुत्री.....निवासी.....ग्राम/कस्बा*.....जिला/प्रमण्डल*.....
..राज्य/संघराज्य क्षेत्र*.....के..... जाति/जनजाति से संबन्धित हैं जिसे निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति

/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जाति)(संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

संविधान (अनुसूचित जनजाति)(संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

% 1 (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित).

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति, आदेश, 1959.

संविधान (दादर एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962.

संविधान (दादर एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962.

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964.

संविधान(अनुसूचित जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967.

संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968.

संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968.

संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970.

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978.

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978.

2. श्री* / श्रीमती* / कुमारी* और/या* उनका परिवार
सामान्यतः ग्राम/कस्बा* जिला/ प्रमण्डल* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में रहता है।

हस्ताक्षर

पदनाम

(कार्यालय की मुहर के साथ)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

स्थान

दिनांक

*जो शब्द लागू न हो उन्हें कृपया काट दें।

नोट : यहां “ सामान्यतः रहते / रहती है ” शब्दावली का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।
(उपर्युक्त प्रारूप डीओपीटी वेबसाइट के , अध्याय 08 पर प्रकाशित विवरणिका के अनुसार है)

अनुबंध – II

भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के निमित्त आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण – पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि पत्र श्री / श्रीमती / कुमारी....., श्री/श्रीमती
..... के पुत्र/पुत्री, निवासी ग्राम/कस्बा.....
जिला/प्रमण्डल*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....जो
.....समुदाय से है, जो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प
ज्ञापन सं..... - दिनांक..... के अंतर्गत मान्यताप्राप्त है।
श्री/श्रीमती/कुमारी.....और/याउनका
परिवार सामान्यतःग्राम/कस्बा.....जिला/ प्रमण्डल..... राज्य/ संघ राज्य
क्षेत्र.....में रहता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.36012/22/93-स्था.-(एससीटी), 8.9.1993 अधिसूचना में उल्लेख की गयी सूची के कॉलम 3 में व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधिकारी
उपायुक्त इत्यादि

दिनांक:
मोहर

*प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र में भारत सरकार के संकल्प की विस्तृत जानकारी का उल्लेख होना चाहिए, जिसमें अ.पि.व अभ्यर्थी की जाति का भी उल्लेख हो।

** समय-समय पर संशोधित किया गया।

टिप्पणी:- यहाँ "आमतौर से रहते / रहती है " का अर्थ वही होगा जो रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल एक्ट, 1950 की धारा 20 में है।

(उपर्युक्त प्रारूप डीओपीटी द्वारा जारी किया गया का.ज्ञा. सं 36036/2/2013-स्था.(आरक्षण), दिनांक 30.05.14 के अनुसार है।)

अनुबंध – III

अन्य पिछड़ा वर्गों –नॉन क्रीम लेयर के अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली घोषणा प्रपत्र

(समुदाय प्रमाणपत्र के अतिरिक्त)

मैं..... के पुत्र/पुत्री,..... निवासी
 ग्राम/कस्बा.....जिला.....राज्य/.....
 एतद् द्वारा यह घोषणा करता / करती हूँ कि मैंसमुदाय से
 संबंधित हूँ जिसे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.36012/22/93-स्था.-
 (एससीटी), 8.9.1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं के आरक्षण के प्रयोजन से पिछड़े वर्ग के
 रूप में मान्यता दी गई है। यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि का. एवं प्र.विभाग के दिनांक 08.09.1993
 के कार्यालय ज्ञापन सं 36033/1/20040-स्था.-(आरक्षण), दिनांक 09.03.2014 और कार्यालय ज्ञापन
 सं 36033/3/2004-स्था.-(आरक्षण), दिनांक 14 अक्तूबर,2008 की अनुसूची के कॉलम में उल्लिखित
 व्यक्तियों / वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

.....सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आप एवं संपत्ति प्रमाणपत्र
 प्रमाणपत्र सं..... दिनांक
 वर्षके लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी पुत्र /
 पुत्री / पत्नी श्री स्थायी पताग्राम
 / स्ट्रीट..... डाकघर..... जिला
 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश..... पिन कोड

जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है , का फोटोग्राफ नीचे अनुप्रमाणित किया गया है, वित्तिय
 वर्ष तब से उनका / उनकी परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये 08
 लाख (रूपये आठ लाख केवल) से कम है , उनका / उनकी परिवार* के पास नीचे दी गई में से कोई भी
 सम्पत्ति*** अपनी नहीं है ।

- I. 5 एकड़ और इससे अधिक की कृषि भूमि
 - II. 1000 वर्ग फीट और इससे अधिक की आवासीय प्लॉट
 - III. अधिसूचित निगमों में 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय प्लॉट
 - IV. अधिसूचित निगमों के क्षेत्र को छोड़कर 200 वर्ग गज और इससे अधिक का आवासीय प्लॉट
- 2 . श्री / श्रीमती / कुमारी जाति के है , जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित
 जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है ।

आवेदक का हाल
पासपोर्ट आकार
अनुप्रमाणित फोटोग्राफ

कार्यालय मोहर सहित
 हस्ताक्षर.....
 नाम.....
 पदनाम.....

* नोट 1 : आय के सभी स्रोतों अर्थात् वेतन , कृषि , व्यापार , व्यवसाय आदि शामिल है ।

** नोट 2 : इस उद्देश्य के लिए ' परिवार ' में वह व्यक्ति शामिल है , जो आरक्षण का लाभ चाहता है ,
 उसके माता - पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई - बहन के साथ - साथ उसके पति / पत्नी और 18
 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल है ।

*** नोट 3 : विभिन्न स्थानों या विभिन्न जगहों / शहरों में एक " परिवार " के पास संपत्ति को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होल्डिंग टेस्ट को लागू करते समय क्लब मिला दिया गया है ।

अनुबंध – V

प्रारूप - V

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(अंगोच्छेदन या अंगों की पूर्ण स्थाई अंगघात , बौनापन और अंधापन की दशा में)

[नियम 18 (1) देखिए]

(प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी चिकित्सा प्राधिकारी का नाम तथा पत्ता)

दिव्यांग व्यक्ति का
नवीनतम पासपोर्ट
आकार का सत्यापित
फोटोग्राफ (केवल
चेहरा दिखता हुआ)

प्रमाण पत्र संख्या :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पत्नी/ पुत्री
श्रीजन्म की तारीख (तारीख / मास /वर्ष) आयु.....वर्ष,
पुरुष/महिलारजिस्ट्रेशन नं.....मकान सं.....
.....वार्ड/गाँव/गली.....डाकघर.....
.....जिला.....राज्य.....का स्थायी निवासी,
जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है, की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूँ कि : -

(क) यह मामला

- चलन संबंधी दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीन का है

(कृपया जो लागू हो, उस पर टिक () का निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में निदान है ।

(ग) उन्हें मार्गदर्शक सिद्धांतों (.....) मार्गदर्शक की संख्या और जारी करने की तिथि निर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार उनके (शरीर के अंग) के संबंध में स्थापना.....% (अंक में)..... प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी चलन दिव्यांगता / बौनापन / नेत्रहीनता है ।

2. आवेदक ने निवास के सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं : -

दस्तावेज का स्वरूप	जारी होने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर तथा मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर /
अंगूठे की छाप, जिसके
पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र
जारी होना है

अनुबंध – VI

प्रारूप - VI
दिव्यांगता प्रमाण पत्र
(बहु दिव्यांगता की दशा में)

[नियम 18 (1) देखिए]
(प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी चिकित्सा प्राधिकारी का नाम तथा पत्ता)

दिव्यांग व्यक्ति का नवीनतम
 पासपोर्ट आकार का सत्यापित
 फोटोग्राफ (केवल चेहरा
 दिखता हुआ)

प्रमाणपत्र संख्या :

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने /श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पत्नी/
 पुत्री श्रीजन्म की तारीखआयु
 (तारीख /मास / वर्ष)महिलारजिस्ट्रेशन नं.....मकान
 नं.....वार्ड /गाँव/गली.....डाक
 घर.....जिला.....राज्य.....
 का स्थायी निवासी, जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूँ
 कि :

(क) यह मामला **बहु दिव्यांगता** के लिए है। उनकी स्थायी शारीरिक क्षति / दिव्यांगता को निम्नलिखित दिव्यांगताओं हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों (विनिर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार मूल्यांकन किया गया है और निम्नलिखित सारणी में दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है।

म.सं.	व्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	दान	शारीरिक दिव्यांगता / मानसिक दिव्यांगता (% में)
1.	जन संबंधी दिव्यांगता			
2.	सपेशीय दुर्विकास			
3.	क किया हुआ कुष्ठ			
4.	नापन			
5.	स्तिष्क घात			
6.	मूल हमले की पीड़ित			
7.	म दृष्टि			
8.	श्रुतिहीनता			
9.	गण क्षति			
10.	हड्डियों में कठिनाई			
11.	क और भाषा दिव्यांगता			
12.	द्विक दिव्यांगता			

13.	शिष्ट शिक्षण दिव्यांगता			
14.	टिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर			
15.	नसिक रूग्णता			
16.	निक स्नायविक स्थिति			
17.	इल काठिन्य			
18.	किन्सन रोग			
19.	मोफीलिया			
20.	नेसीमिया			
21.	कल सेल रोग			

(ख) उपरोक्त के मद्देनजर उनकी समग्र स्थायी शरीरिक क्षति मार्गदर्शक सिद्धांतों (.....मार्गदर्शक की संख्या और जारी करने की तिथि निर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार इस प्रकार है :-

अंकों मेंप्रतिशत

शब्दों मेंप्रतिशत

2. यह स्थिति वर्धनशील / अवर्धनशील / इसमें सुधार होने की संभावना / सुधार न होने की संभावना है ।

3. दिव्यांगता का पुर्नमूल्यांकन

(i) आवश्यक नहीं है,

या

(ii)वर्ष.....मास के पश्चात सिफारिश की जाती है और इसलिए

यह प्रमाणपत्रतकविधिमान्य रहेगा

|

(तारीख / मास / वर्ष)

@ अर्थात् बायां / दाहिना / दोनों भुजाएं / पैर

अर्थात् एक आँख / दोनों आँखें

£ अर्थात् बायां / दाहिना / दोनों कान

4. आवेदक ने निवास के सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी होने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर

सदस्य का नाम तथा मुहर	सदस्य का नाम तथा मुहर	अध्यक्ष का नाम तथा मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर /
अंगूठे की छाप, जिसके
पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र
जारी होना है

अनुबंध - VII

प्रारूप - VII
दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(प्रारूप V तथा VI में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त)
(प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी चिकित्सा प्राधिकारी का नाम तथा पता)
[नियम 18 (1) देखिए]

दिव्यांग व्यक्ति का नवीनतम
 पासपोर्ट आकार का सत्यापित
 फोटोग्राफ (केवल चेहरा
 दिखता हुआ)

प्रमाण पत्र संख्या :

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने /श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पत्नी/
 पुत्री श्रीजन्म की तारीखआयुवर्ष, पुरुष/
 (तारीख / मास / वर्ष).....रजिस्ट्रेशन नं.....मकान
 नं.....वार्ड /गाँव/गली.....डाक
 घर.....जिला.....राज्य.....
का स्थायी निवासी जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट
 हूँ तथा मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि यह दिव्यांगता का मामला है। इसकी
 शारीरिक क्षति / दिव्यांगता का मूल्यांकन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार(.....मार्गदर्शक की
 संख्या और जारी करने की तिथि विनिर्दिष्ट किया जाना है) किया गया है तथा यह निम्नलिखित सारणी
 में दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है।

म.सं.	व्यांगता	रि का प्रभावित अंग	दान	गई शारीरिक दिव्यांगता / मानसिक दिव्यांगता (% में)
1.	जन संबंधी दिव्यांगता			
2.	सपेशीय दुर्विकास			
3.	क किया हुआ कुष्ठ			
4.	अस्तिष्क घात			
5.	मल हमले की पीड़ित			
6.	म दृष्टि			
7.	श्रवण क्षति			
8.	हाने में कठिनाई			
9.	क और भाषा दिव्यांगता			
10.	द्विक दिव्यांगता			

11.	शिष्ट शिक्षण दिव्यांगता			
12.	टिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर			
13.	नसिक रूग्णता			
14.	निक स्नायविक स्थिति			
15.	हुल काठिन्य			
16.	किन्सन रोग			
17.	मोफीलिया			
18.	नेसीमिया			
19.	कल सेल रोग			

जो लागू न हो उसे काट दें।

2. यह स्थिति वर्धनशील / अवर्धनशील / इसमें सुधार होने की संभावना / सुधार न होने की संभावना है।

3. दिव्यांगता का पुर्नमूल्यांकन

(i) आवश्यक नहीं है,

या

(ii)वर्ष.....मास के पश्चात सिफारिश की जाती है और इसलिए

यह प्रमाणपत्रतकविधिमान्य रहेगा।

(तारीख / मास / वर्ष)

@ अर्थात् बायां / दाहिना / दोनों भुजाएं / पैर

अर्थात् एक आँख / दोनों आँखें

£ अर्थात् बायां / दाहिना / दोनों कान

4. आवेदक ने निवास के सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी होने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(चिकित्सा प्राधिकारी का नाम तथा मोहर)

प्रतिहस्ताक्षर

(चिकित्सा प्राधिकारी , जो सरकारी सेवक नहीं है, के द्वारा जारी प्रमाणपत्र की दशा में , मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक / सरकारी अस्पताल के प्रधान का प्रतिहस्ताक्षर और मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर / अंगूठे की छाप, जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी होना है

टिप्पणी : यदि यह प्रमाणपत्र चिकित्सा अधिकारी, जो सरकारी सेवक नहीं है, के द्वारा जारी किया जाता है तो यह विधिमान्य तभी होगा जब इस पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो।

टिप्पणी : प्रमुख नियम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 489, दिनांक 25.06.2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे।

परीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री / सुश्री / श्रीमती
 (दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र / सुपुत्री.....
 ग्राम / जिला / राज्य.....के निवासी हैं . जो कि..... (
 दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं , और
 उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं उनकी लेखन क्षमताओं को प्रभावित
 करती हैं ।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल

सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक :

नाम व पदनाम :

सरकारी अस्पताल / स्वास्थ्य सेवा संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान :

तारीख :

टिप्पणी : संबंधित विषय / दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता - नेत्र विशेषज्ञ , गति विषयक दिव्यांगता -
 अस्थि रोग विशेषज्ञ / पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए ।

अनुबंध- IX

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन – पत्र

मैं..... (दिव्यांगता का स्वरूप)
 दिव्यांगता से पीड़ित अभ्यर्थी हूं..... (परीक्षा का नाम) में बैठने के
 लिए..... (राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का नाम)..... जिले में स्थित
(केंद्र का नाम) में रोल नं.....

है।

मैं सूचित करता / करती हूं कि..... (प्रलिपिक का नाम)
 अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक / रीडर / प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता / करती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता..... है। यदि
 बाद में यह पता चलता है, कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी
 शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

अनुबंध- X

कौशल परीक्षा में बैठने से छूट चाहने वाले ओएच बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार द्वारा
प्रस्तुत किया जाने वाला चिकित्सा प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुसुपुत्र / सुपुत्री
/ पत्नी श्री..... से पीड़ित है।

नैदानिक निदान के परिणामस्वरूप उन्हें निम्नलिखित दिव्यांगता है। (उनकी दिव्यांगताओं का संक्षिप्त
विवरण)

यह एक स्थायी विकलांगता है और उसका / उसकी दिव्यांगता , दिव्यांगता की.....% है।
इस दिव्यांगता से टंकण में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है (विनिर्दिष्ट करें)

सिविल सर्जन का हस्ताक्षर:

नाम:

(कार्यालय की मोहर)

स्थान :

दिनांक :.....

शरीर के प्रभावित अंश को
स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए
अभ्यर्थी का फोटोग्राफ

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:

नाम :

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर)
(रैंक)
 (नाम)(दिनांक) को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की
 विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे ।

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय की मुहर :

स्थान:

दिनांक:

अनुबंध- XII

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन - पत्र

मैंअनुक्रमांक.....परीक्षा,20..... के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम , में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः 1979 रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम , स्वायत्त निकाय सांविधिक निकाय / , राष्ट्रीयकृत बैंक , आदि सम्मिलित हैं रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए : में भूतपूर्व सैनिकों को पुन (समूह ' ग ' तथा ' घ ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है , अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक..... कोकार्यालय में..... पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व वचन पत्र / घोषणा - प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है, अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक.....को..... कार्यालय में पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ , पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / समाप्त समझा जाएगा / नियुक्ति निरस्त।

हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक :

दिनांक :

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि कार्यमुक्ति की तिथि :

अंतिम इकाई : कोर /

मोबाइल नंबर :

ईमेल आईडी :

अनुबंध- XIII

आयु में छूट का दावा करने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म
(संस्थान जारी करने वाले प्राधिकारी का लेटर हेड)

कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु..... पुत्र / पुत्री /
पत्न श्री..... इस संगठन / विभाग / मंत्रालय का नियमित रूप से नियुक्त
कर्मचारी है और इस अवधि के दौरान उनके द्वारा निम्न कार्य किए गए हैं :

प्रमाणित किया जाता है कि :

* (क) श्री / श्रीमती / कु..... दिनांक..... कार्यालय
/ विभाग में.....के वास्तविक रूप से स्थायी पद पर हैं।

* (ख) श्री / श्रीमती / कु..... दिनांक..... से
कार्यालय / विभाग में..... पद पर केन्द्र सरकार के अधीन
अस्थायी सेवा में नियमित आधार पर सतत रूप से अस्थाई सेवा में है।

स्थान :.....

दिनांक :.....

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम

मंत्रालय / कार्यालय.....

पता.....

कार्यालय मुहर.....

17. पेपर (ओएमआर) आधारित टेस्ट (पीबीटी) के लिए सांकेतिक पाठ्यक्रम:

पाठ्यक्रम को 02 भागों में विभाजित किया गया है - (i) सामान्य योग्यता जो 60 अंकों की होगी और विशिष्ट क्षेत्र जो 40 अंकों का होगा। सामान्य क्षमता को आगे 4 वर्गों में विभाजित किया गया है - (ए) सामान्य ज्ञान, (ii) सामान्य अंग्रेजी, (iii) सामान्य बुद्धि और तर्क और (iv) कंप्यूटर, प्रत्येक में 15 अंक हैं। 60 अंकों का सामान्य योग्यता पाठ्यक्रम सभी पदों के लिए सामान्य है, लेकिन प्रश्न में इसका कठिनाई स्तर पदों की आवश्यक शैक्षिक योग्यता के अनुसार बदल जाएगा, जबकि प्रत्येक पद के लिए 40 अंक विशिष्ट क्षेत्र में परिवर्तित होंगे। पाठ्यक्रम (सिलेबस) नीचे बताया गया है;

(क) सामान्य ज्ञान: इस घटक में प्रश्न का उद्देश्य उम्मीदवारों, उनके आसपास के परिवेश के प्रति उनकी सामान्य जागरूकता और समाज के लिए उसका उपयोग का परीक्षण करना होगा। प्रश्नों को वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और प्रति दिन के ऐसे मामलों के अवलोकन और उनके वैज्ञानिक पहलू के अनुभव के परीक्षण के लिए भी तैयार किया जाएगा, जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। परीक्षण(टेस्ट) में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी, विशेष रूप से इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक जीवन, सामान्य नीति और वैज्ञानिक अनुसंधान, भारत में फिल्म और टीवी उद्योग आदि से संबंधित सम्मिलित होंगे।

(ख) सामान्य अंग्रेजी: इस घटक में प्रश्नों को उम्मीदवार की अंग्रेजी भाषा की समझ और ज्ञान का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा और त्रुटि पर (based on spot the error) आधारित होगा, रिक्त स्थान भरना, समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, वर्तनी/गलत वर्तनी वाले शब्दों का पता लगाना, एक शब्द प्रतिस्थापन, क्रियाओं की काल, कर्तृ वाच्य/कर्म वाच्य (एक्टिव/पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स), प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष कथन में रूपांतरण, गद्यांश।

(ग) सामान्य बुद्धि और तर्क: इस घटक में समानताएं, समानताएं और विभिन्नता, स्थान, दृश्य, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेने, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध अवधारणाओं, अंकगणितीय तर्क और आकृति वर्गीकरण संख्या/ आकृति श्रृंखला, संख्यात्मक संचालन, कोडिंग और डिकोडिंग इत्यादि पर प्रश्न शामिल हो सकते हैं।

(घ) कंप्यूटर: इस घटक में प्रश्नों को उम्मीदवार की कंप्यूटर सिस्टम, विभिन्न इनपुट और आउटपुट डिवाइस, एमएस ऑफिस/लिब्रे ऑफिस, इंटरनेट और इसके अनुप्रयोग, ईमेल, फेस-बुक, ट्वीटर, के विषय में समझ और ज्ञान सर्च इंजन आदि का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। परीक्षा में कंप्यूटर के बुनियादी हार्डवेयर ज्ञान से संबद्ध अन्य संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे।

पद क्र.सं 1: कैमरामैन (इलेक्ट्रॉनिक और फिल्म)

विशिष्ट क्षेत्र: बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे - ईएनजी कैमकोर्डर और स्टूडियो कैमरे के प्रकार, लेंस के प्रकार, फिल्टर, ट्रायपोडस, रिफ्लेक्टर, स्क्रीमर और अन्य सहायक उपकरण, इनडोर के साथ-साथ आउटडोर सुरक्षा और सावधानियों के ज्ञान के माध्यम से शूट करते समय छवि निर्माण, मुख्य फोकल और फोकस लंबाई, छवि का आकार और तीव्रता, अक्ष का सिद्धांत, क्षेत्र की गहराई, फोकस की गहराई, क्षेत्र और फोकस की गहराई को नियंत्रित करने वाला कारक, गहरा फोकस, उथला फोकस, दूरी के साथ एपर्चर की भिन्नता, रंगीन और गोलाकार विपथन, क्षेत्र की वक्रता और विरूपण दृष्टिवैषम्य, योज्य और उप-रंग सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के प्रकाश स्रोत जैसे प्राकृतिक प्रकाश, फ्लोरोसेंट प्रकाश, टंगस्टन प्रकाश और इसका प्रभाव, कलर टेम्परेचर और कलर बेलेंस, लाइटिंग, लो की और हाई की पिक्चर, फ्रेमिंग के विभिन्न प्रकार और संरचना, अलग-अलग शटर गति पर चित्र, विभिन्न लेंसों के साथ चित्र, विभिन्न प्रकाश स्थितियों के तहत चित्र, विभिन्न प्रकार के वीडियो टेप, थ्री प्वाइंट लाइट व्यवस्था और मल्टी प्वाइंट लाइट व्यवस्था, इनडोर और आउटडोर लाइट व्यवस्था, हार्ड और सॉफ्ट लाइट व्यवस्था, सिग्नल कैमरा और मल्टी-कैमरा लाइटिंग, मल्टीकैमरा सीसीयू संचालन, मल्टीकैमरा की वीडियो चैन, वीडियो उपकरण का निवारक और सुधारात्मक रखरखाव, कंप्यूटर का उपयोग करके एनालॉग और डिजिटल फॉर्मट में वीडियो सिग्नलस का संग्रह और पुनर्प्राप्ति आदि से सम्बन्धित ।

पद क्र.सं 2: ग्राफिक और विजुअल सहायक

विशिष्ट क्षेत्र: दृश्य कला, प्रदर्शन कला और ललित कला जैसे चित्रण, टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी, कॉलीग्राफी पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन (पोट्टरी आर्ट), एनीमेशन, वास्तुकला, मूर्तिकला, रचना, भित्ति कला (म्यूरल आर्ट), प्रिंट मेकिंग आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे । कला, विश्व कला इतिहास, रसास्वादन और कला आंदोलन (प्रागैतिहास से 20वीं शताब्दी ईस्वी तक), दुनिया भर में पूर्व ऐतिहासिक और प्रारंभिक सभ्यताएं । डिजाइन के सौंदर्यशास्त्र, परिप्रेक्ष्य, स्केचिंग, बलेन्स, लाइन ऑफ एक्शन, मानव और पशु शरीर रचना अध्ययन, ज्यामिति और प्रकृति डिजाइन, कार्टूनिंग, स्थिर जीवन, लाइफ इन 3 डी पेंसिल, आयाम और परिप्रेक्ष्य प्रभाव, आदि सहित ड्राइंग की अवधारणाएं । आगे, डिजिटल ग्राफिक्स सहित डिजिटल विषयों से, 2डी और 3डी में दृश्य कला डिजाइन का रसास्वादन और नींव, जिसमें 2डी और 3डी एनीमेशन, संचार डिजाइन, विज्ञापन आदि, कलर थ्योरी और दृश्यों में इसका मनोविज्ञान, प्रायोगिक उपयोग के लिए इतिहास में कला आंदोलनों को प्रभावशाली ढंग से समझना समावेशित हैं ।

पद क्र.सं 3: फिल्म संपादक

विशिष्ट क्षेत्र: विभिन्न प्रकार के वीडियो टेप, फिल्म संरचना, सबजेक्ट मूवमेंट, कैमरा मूवमेंट, कट्स और ट्राजीशन, रीदम, टाइमिंग, पेस एण्ड टेम्पो । शॉक अट्रैक्शन, फ्लटर कट, एसोसिएटिव, मेट्रिक, टोनल डायलेक्टिकल, लिंकेज, पॉइंट ऑफ व्यू एडिटिंग, इनविजिबल एडिटिंग, एम्पैथिक एडिटिंग जैसी एडिटिंग कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान । लीनियर एडिटिंग का ज्ञान: असेंबली, इंसर्ट, ऑफ लाइन, ऑनलाइन, स्विचिंग आदि । ऑप्टिकल इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट, कट अवे, कटिंग इन एक्शन, कटिंग ऑन मूवमेंट, इंटर कटिंग, परेलल कटिंग, मोंटाज । नॉन लिनियर एडिटिंग का ज्ञान: कंट्रोल ट्रैक, टाइम कोड एडिटिंग, सिकवेंसिंग इन टाइम लाइन, सिंक्रनाइजेशन ऑफ पिक्चर एण्ड साउण्ड, एडिंग इफेक्ट, कोड एडिटिंग, सिकवेंसिंग इन टाइम

लाइन, टाइटल्स और कैप्शन तैयार करना, सिंक्रोनस और नॉन-सिंक्रोनस साउंड्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, स्पेशल इफेक्ट साउंड्स, मिक्सिंग और पोस्टिंग मिक्सड ट्रैक मिक्सिंग टेकनीकस, रफ कट, फाइनल मास्टर टेप मेकिंग आदि , एवीडी और एफसी का ज्ञान । वास्तविकता के भ्रम का निर्माण, सहज कट, एक स्पष्ट निरंतरता का निर्माण, भौतिक निरंतरता का निर्माण, लगातार क्रियाओं का मिलान, छवि आकार और कैमरा एंगल में परिवर्तन, स्क्रीन डायरेक्शन की समझ (सेन्स) , मैचिंग टोन - 180 डिग्री नियम । फिल्म और वीडियो उपकरण और उनके सामान का मूलभूत रखरखाव ।

पद क्र.सं - 4: मेकअप आर्टिस्ट

विशिष्ट क्षेत्र: बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे - त्वचा की तैयारी, स्कीनटोन, फाउण्डेशन और पाउडर का उपयोग, कोरेक्टिव और कॅम्युफलेज तकनीक, कॅनटूरिंग और हाइ लाइटिंग, लिपस्टिक, ग्लॉसर्स और लाइनर का उपयोग, विभिन्न लिपस्टिक रंगों का प्रभाव, चमकदार त्वचा बनाना, लिप लाइनर, होंठ के आकार में बदलाव, आंखों की भौंह को आकार देना, फोल्स आइलेसेस (पलकें), पाउडर और क्रीम में आई शेडो, लिक्विड आईलाइनर, स्मोकी आइज, आइब्रो को आकार देना, ग्लैमर मेकअप, होंठों को फिर से आकार देना, रंगों के साथ बनावट बनाना, पेंसिल/लिक्विड लाइनर, मस्कारा, फाल्स लैश एप्लिकेशन, पाउडर और क्रीम में ब्लशर, हाइलाइटिंग और शेडो, आंखों, हाथों, गर्दन, नाक, मुंह, त्वचा की बनावट में भिन्नता वाले विभिन्न पुरुष और महिला फीचर । मेकअप - विभिन्न आयु समूहों जैसे बालक, युवा, मध्यम आयु, वृद्धावस्था, अति वृद्धावस्था, मरना, मृत्यु, खोपड़ी आदि । अलग-अलग भावनात्मक प्रभाव, व्यसन के लिए मेकअप तकनीक । 17वीं शताब्दी से अब तक के पुरुष और महिला पात्रों में से प्रत्येक के केश हेयर स्टाइल(विन्यास) । विशेष श्रृंगार - जैसे बम विस्फोट, घाव आदि ।

पद क्र.सं - 5: प्रयोगशाला सहायक (ग्रेड - I)

विशिष्ट क्षेत्र: फिल्म सामग्री, पोजीटिव, नेगेटिव, इंटर पोजीटिव, इंटर नगेटिव, रिलीज प्रिंट, स्टोरेज, फिल्म प्रारूप, 16 मिमी, 35 मिमी, 70मिमी, आईमैक्स, डिजिटल इंटरमीडिएट, डिजिटल सिनेमा पैकेजिंग, डीसीआई । रंग सुधार प्रणाली, इसके रखरखाव और रखरखाव, रंग सुधार के लिए सॉफ्टवेयर, डिजिटल रिकॉर्ड रखना, डेटा ट्रांसफर करने का ज्ञान । एक संपादित फिल्म में वांछित रंग, स्वर और कलर प्लेट्स जोड़ने के लिए कलर एडिटिंग सॉफ्टवेयर का ज्ञान । प्राथमिक रंग, माध्यमिक रंग, पूरक रंग, ,रंग, संतृप्ति, चमक, क्रोमिनेंस,(hue, saturation, luminance, chrominance) कंट्रास्ट अनुपात, कलर ग्रेडिंग, फिल्म में कलर करेक्शन आदि जैसे शब्दों का ज्ञान । कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले मॉनिटर, प्रोजेक्टर, सर्वर आदि के परिचालनका प्रणाली ज्ञान ।

पद क्र.सं - 6: अनुसंधान सहायक (तकनीकी)

विशिष्ट क्षेत्र: अनुसंधान पद्धति का ज्ञान, विश्वसनीय सूचना के स्रोत, डेटा संग्रह के तरीके, संदर्भ कार्य और मास मीडिया की अवधारणा। फिल्म और या टेलीविजन प्रोडक्शन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपकरणों और सहायक उपकरणों की मरम्मत, अनुरक्षण और रखरखाव का ज्ञान। मुख्य रूप से कैमरा और कैमकोर्डर, लेंस, ट्राइपॉड/डॉली, बैटरी, मॉनिटर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टर, स्क्रीन, केबल, कन्वर्टर, कनेक्टर, ऑडियो-वीडियो पैच पैनल, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम, डॉल्बी एटीएमओएस सिस्टम शामिल हैं। , एकल चरण और 03 चरण की आपूर्ति, 5 ए और 15/16 ए की आवश्यकताएं, यूपीएस, विभिन्न प्रकार की बैटरी और इसकी आवश्यकता, बैकअप समय की गणना। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार की लाइट्स का उपयोग इनडोर के साथ-साथ आउटडोर शूटिंग में किया जाता है जैसे एचएमआई, हैलोजन, फ्लोरो, टंगस्टन, जोकर, एलईडी, उनकी वाट क्षमता। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक ट्रॉली बोर्ड। रंग टेम्प्रेचर की अवधारणा, फोकस - डिफोकस, हार्ड - सॉफ्ट लाइट, व्हाइट एंड ब्लैक बैलेंस और लाइटिंग में बटर पेपर, जिलेटिन पेपर, सीटीओ और सीटीबी फिल्टर का उपयोग। केवीए रेटिंग से संबंधित गणना और लाइट लोड के अनुसार पोर्टेबल जेनरेटर का बैकअप।

पद क्र.सं -07: सहायक सुरक्षा अधिकारी

विशिष्ट क्षेत्र: इस घटक में आपात स्थिति से निपटने के बुनियादी ज्ञान, आपातकालीन निकासी और प्रबंधन, आपातकालीन प्रबंधन के सिद्धांत, सुरक्षा उद्योग में कानूनी अनुपालन, रोस्ट्रिंग, भौतिक सुरक्षा, कर्मियों की सुरक्षा पर प्रश्न शामिल हो सकते हैं। घरेलू सुरक्षा, संपत्तियों की सुरक्षा, इमारतों की सुरक्षा, शैक्षणिक संस्थान, खतरों के प्रकार और खतरे को कम करने के उपाय। आग और अग्निशमन, भीड़ नियंत्रण, परिचालन स्वास्थ्य और सुरक्षा, तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों की पहचान, जनता और पुलिस में उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के हथियारों की पहचान, प्राथमिक चिकित्सा, संकट प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन पर बुनियादी प्रश्न। पहचान पत्र, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्ड और सरकार सहित दस्तावेजों की परीक्षा और पहचान के ज्ञान से संबंधित जानकारी। शस्त्र लाइसेंस और यात्रा दस्तावेज के साथ फोटो पहचान पत्र। गैर-निषिद्ध हथियारों को संभालने और चलाने से संबंधित सरल प्रश्न। प्रथम सूचना रिपोर्ट, भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और निजी रक्षा के अधिकार, पुलिस और सैन्य बलों में रैंक के बैज से संबंधित सरल और बुनियादी प्रश्न। सुरक्षा उपकरणों और उपकरणों जैसे सुरक्षा अलार्म, स्क्रीनिंग उपकरण, एचएचएमडी आदि के उपयोग से संबंधित प्रश्न, अज्ञात वस्तुओं को संभालने, तोड़फोड़-रोधी जांच करने और विभिन्न सुरक्षा संबंधी उपकरणों को संभालने से संबंधित प्रश्न।

पद क्र.सं -08: निर्माण सहायक

विशिष्ट क्षेत्र: बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे - फिल्म और टीवी निर्माण के विभिन्न चरण जैसे प्रीप्रोडक्शन स्टेज; प्रोडक्शन स्टेज; और पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज, ऊपर - लाइन और नीचे - लाइन में शामिल कर्मियों के बारे में जानकारी, फिल्म निर्माण और टेलीविजन निर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख विभाग, तकनीशियनों, ड्राइवरों और स्थानीय लोगों से निपटना, बजट तैयार करना, स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन तैयार करना, कलाकारों को संभालने, विभिन्न अनुमतियों सहित स्थान सेटिंग, शूटिंग शेड्यूल की तैयारी, कलाकारों को संभालने, चालक दल की भर्ती प्रक्रिया, चालक दल के कर्तव्यों, अभिनेताओं, एजेंटों आदि के लिए अनुबंध -

समझौतों का उचित विचार, प्रीप्रोडक्शन के लिए अलग-अलग कॉल शीट बनाए रखना, फिल्म के साथ-साथ टीवी दोनों के प्रीप्रोडक्शन, बजट और चल रहे प्रोडक्शन के लिए अलग-अलग कॉल शीट बनाए रखना, । फिल्म शूटिंग/टीवी निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का मूलभूत ज्ञान । विज्ञापन फिल्मों, लघु फिल्म, वृत्तचित्र, फीचर फिल्मों आदि के बीच मूलभूत अन्तर । मल्टीकैमरा प्रोडक्शन के लिए स्थापित एक टीवी स्टूडियो में फ्लोर मैनेजर, लाइव टीवी प्रोडक्शन/ब्रॉडकास्ट के दौरान फ्लोर मैनेजर द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संकेत ।

पद क्र.सं 09: सहायक अनुरक्षण अभियंता (मैकेनिकल)

विशिष्ट क्षेत्र: फिल्म और या टेलीविजन प्रोडक्शन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपकरणों और सहायक उपकरणों की मरम्मत, रखरखाव और रखरखाव का ज्ञान। प्रमुख रूप से क्रेन, क्रेब डॉली, स्ट्रेट एंड राउंड ट्रैक-ट्रॉली, जिमी जिब्स, ट्राइपॉड्स और डॉली, ट्रॉली (वाहन) शामिल हैं मूव प्रॉप्स और पोर्टेबल लाइट्स, लाइटिंग सिस्टम (ताराफा/स्टूडियो आधारित मैनुअल लाइटिंग सिस्टम), लाइट स्टैंड, बार्न-दरवाजे, हाफ नेट, फुल नेट, स्किमर, कटर, रिफ्लेक्टर, कटर और रिफ्लेक्टर स्टैंड, पटला, जिमी जिब, सैंड बैग, पोर्टेबल जनरेटर आदि । इसके अलावा, वाहनों की बुनियादी मरम्मत, अनुरक्षण और रखरखाव जिसमें बसें, कार, जीप, ट्रक, मिनी-बसें, टेम्पो-ट्रवलर, ऑटो-रिक्शा, जेनरेटर वैन, मिनी-ट्रक, इलेक्ट्रिक वाहन आदि शामिल हैं।

पद क्र.सं 10: सहायक अनुरक्षण अभियंता (इलेक्ट्रिक)

विशिष्ट क्षेत्र: फिल्म और या टेलीविजन प्रोडक्शन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपकरणों और सहायक उपकरणों की मरम्मत, अनुरक्षण और रखरखाव का ज्ञान । प्रमुख रूप से कैमरा और कैमकोर्डर, लेंस, ट्रायपॉड/डॉली, बैटरी, मॉनिटर आदि शामिल हैं । इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टर, स्क्रीन, केबल, कन्वर्टर्स, कनेक्टर्स, ऑडियो-वीडियो पैच पैनल, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम, डॉल्बी एटीएमओएस सिस्टम, सिंगल फेज और 03 फेज की आपूर्ति, 5 ए और 15/16 ए की आवश्यकताएं, यूपीएस, विभिन्न प्रकार की बैटरी और इसकी आवश्यकता, बैकअप समय की गणना । इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार की लाइट्स का उपयोग, जिनका इनडोर के साथ-साथ आउटडोर शूटिंग में किया जाता है जैसे एचएमआई, हैलोजन, फ्रेस्नेल, टंगस्टन, जोकर, एलईडी, उनकी वाट क्षमता । विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक ट्रॉली बोर्ड । कलर टेम्प्रेचर की अवधारणा, फोकस - डिफोकस, हार्ड - सॉफ्ट लाइट, व्हाइट एंड ब्लैक बैलेंस और लाइटिंग में बटर पेपर, जिलेटिन पेपर, सीटीओ और सीटीबी फिल्टर का उपयोग । केवीए रेटिंग से संबंधित गणना और लाइट लोड के अनुसार पोर्टेबल जेनरेटर का बैकअप ।

पद क्र.सं -11: साउंड रिकॉर्डिस्ट

विशिष्ट क्षेत्र: बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे - विभिन्न प्रकार के वायर्ड और वायरलेस माइक्रोफोन, इसकी दिशात्मकता, माइक्रोफोन से संबंधित वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन, एम्पलीफायर और लाउडस्पीकर की मूल बातें, एम्पलीफायर का डिज़ाइन, ऑसिलेटर और बिजली की आपूर्ति, ध्वनि मिक्सर, वॉल्यूम

नियंत्रक और तुल्यकारक, एम्पलीफायर लाभ संरचना, ध्वनि प्रजनन; बाड़ों के ध्वनिक गुण और ध्वनि, समानता, संतुलन मिश्रण, गतिकी (संपीडन और विस्तार), विभिन्न प्रकार के फिल्टर, प्री-एम्पलीफायर और लेवल शिफ्टिंग तकनीक, विभिन्न प्रकार के ध्वनि प्रभाव, प्रतिध्वनि, विलंब, ध्वनि के व्यक्तिपरक श्रवण के साथ उनका संबंध मोशन पिक्चर प्रोडक्शन के लिए डिज़ाइन, विभिन्न केबल और कनेक्टर, Vu मीटर और साउंड लेवल मीटर, ProTools पर ऑपरेशन, टाइम कोड सिंक्रोनाइज़ेशन एनालॉग और डिजिटल कंसोल, विभिन्न रिकॉर्डिंग और एडिटिंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन, एक मल्टीकैमरा सेटअप में ऑडियो कंसोल ऑपरेशन, सराउंड साउंड सोल्डरिंग और क्रिम्पिंग सहित ध्वनि उपकरणों का समस्या निवारण और रखरखाव, मल्टीकैमरा की ऑडियो और वीडियो श्रृंखला, ऑडियो के निवारक और सुधारात्मक उपाय कंप्यूटर का उपयोग करते हुए एनालॉग और डिजिटल प्रारूपों में उपकरण, ऑडियो ट्रांसफरिंग, अभिलेखीय और ऑडियो संकेतों की पुनर्प्राप्ति।

पद क्र.सं :12- प्रयोगशाला तकनीशियन

विशिष्ट क्षेत्र: फिल्म सामग्री, पोजिटीव, नगेटिव, इंटर पोजिटीव, इंटर अंतर नगेटिव, रिलीज प्रिंट, सटोरेज, फिल्म फोर्मेट 16 मिमी, 35 मिमी, 70 मिमी, आईमैक्स, डिजिटल इंटरमीडिएट, डिजिटल सिनेमा पैकेजिंग, डीसीआई। कलर करेक्शन सिस्टम, इसके अनुरक्षण और रखरखाव (अपकीप), कलर करेक्शन के लिए कलर करेक्शन, सॉफ्टवेयर, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, डेटा के ट्रांसफर का ज्ञान। एक संपादित फिल्म में वांछित, स्वर और कलर पेटल्स (hues, tones and color palates) जोड़ने के लिए कलर एडिटिंग सॉफ्टवेयर का ज्ञान। प्राथमिक रंग, माध्यमिक रंग, पूरक रंग, रंग, संतृप्ति, चमक, क्रोमिनेंस, कंट्रास्ट अनुपात, रंग सिद्धांत, फिल्म में रंग सुधार आदि जैसे शब्दों का ज्ञान। (Knowledge of terms like primary colours, secondary colours, complementary colours, hue, saturation, luminance, chrominance, contrast ratio, colour theory, colour correction in film etc) कलर ग्रेडिंग और कलर में उपयोग किए जाने वाले मॉनिटर, प्रोजेक्टर, सर्वर आदि का परिचालन ज्ञान प्रणाली की जानकारी।

पद क्र.स -13: प्रदर्शक (ध्वनि रिकॉर्डिंग)

विशिष्ट क्षेत्र: बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे - 1. माइक्रोफोन: डायनेमिक और कंडेनसर माइक्रोफोन स्टीरियो माइक्रोफोन थ्योरी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोफोन रिस्पॉन्स पैरामीटर पॉपलर पैटर्न 2. मिक्सिंग कंसोल रिकॉर्ड, डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन। 3. ऑडियो प्रारूप (डब्ल्यूएवी, एआईएफएफ, एसडी II, एमएक्सएफ, डब्ल्यूएमए) 4. ए से डी एंड डी से ए एनालॉग और डिजिटल साउण्ड के बीच अंतर 5. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी, एम्पलीफायर, लॉजिव गेट्स। 6) रिवरब्रेशन (प्रतिध्वनि विलंब)। 7. इक्यूलेशन (समानता) 8. डायनेमिक रेंज - सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, कंप्रेसर, लिमिटर, एक्सपैंड, नॉइज़ गेट आदि। 9. फिल्मों के लिए ऑप्टिकल मोनो साउंड ट्रैक, स्टीरियो साउंड ट्रैक, डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटम्स आदि। 10. सिनेक साउंड रिकॉर्डिंग, प्रोडेक्शन साउंड चैन, मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग, ऑटोमेटेड डायलॉग रिप्लेसमेंट, मिडी, सैंपलिंग और सिंथेसिस।

पद क्र.स -14: आशुलिपिक

विशिष्ट क्षेत्र: डिक्टेसन लेने, भाषणों को नोट करने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैठकों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/जांच समितियों के कार्यवृत्त, भाषण लेखन, जनसंपर्क में मदद करने और टाइपिंग की गति के लिए शॉर्टहैंड का उपयोग, : बिना माउस के कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का हार्ड कोर उपयोग, विभिन्न फ़ाइल स्वरूपों, डेटा प्रविष्टि आदि का उपयोग किए बिना शॉर्ट-कट कुंजियों सहित, साथ ही, इंटरनेट, ईमेल, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि का व्यावसायिक स्तर का उपयोग। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री का उपयोग करने और पोस्ट करने में दक्षता। आरक्षण, आयकर, सेवा कर, वेतन आयोग, वेतन और भत्ता, छुट्टी, खरीद प्रक्रियाएं, बैंक प्रक्रियाएं, न्यायालय प्रक्रियाएं प्रेस विज्ञप्तियां तैयार करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग देना, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए सामग्री तैयार करना, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आदि के प्रबंधन सम्बद्ध भारत सरकार के नियम से संबंधित सरल प्रश्न।

पद क्र.स -15: अवर श्रेणी लिपिक

विशिष्ट क्षेत्र: इस भाग के प्रश्नों को उम्मीदवार की संख्या और संख्या के उचित उपयोग की क्षमता का परीक्षण करने के लिए रचना की गयी है। इस भाग के अन्तर्गत गुंजाइश पूर्ण संख्याओं, दशमलव, अंशों और संख्याओं के बीच संबंधों, प्रतिशत, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूल बीजगणित की मूल बीजगणितीय पहचान, बार आरेख और पाई चार्ट की गणना होगी। आरक्षण, आयकर, सेवा कर, वेतन आयोग, वेतन और भत्ता, अवकाश, खरीद प्रक्रिया, बैंक प्रक्रिया, न्यायालय प्रक्रिया पर भारत सरकार के नियम आदि से संबंधित सरल प्रश्न।

पद क्र.स -16: मैकेनिक

विशिष्ट क्षेत्र: फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपकरणों और सहायक उपकरणों की मरम्मत, रखरखाव और रखरखाव (कीअप) का ज्ञान। मुख्य रूप से क्रेन, क्रेब डॉली, स्ट्रेट और राउंड ट्रैक-ट्रॉली, जिमी जिब्स, ट्राइपॉड्स और डॉली, ट्रॉलियां (वाहन) जिनका उपयोग प्रॉप्स और पोर्टेबल लाइट्स, लाइटिंग सिस्टम (ताराफा / स्टूडियो आधारित मैनुअल लाइटिंग सिस्टम), लाइट स्टैंड्स, बार्न- को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। डोर बार्न, हाफ नेट, फुल नेट, स्क्रीन, कटर, रिफ्लेक्टर, कटर और रिफ्लेक्टर स्टैंड, पटला, जिमी जिब, सैंड बैग, पोर्टेबल जेनरेटर आदि। साथ ही, कैमरा और कैमकोर्डर, लेंस, ट्राइपॉड/डॉली, बैटरी, मॉनिटर आदि। विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टर, स्क्रीन, केबल, कन्वर्टर, कनेक्टर, ऑडियो-वीडियो पैच पैनल, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम, डॉल्बी एटीएमओएस सिस्टम, सिंगल फेज और 03 फेज सप्लाय, 5 ए और 03 फेज की आपूर्ति की मरम्मत, रखरखाव और रखरखाव (कीअप) का ज्ञान 15/16 ए आवश्यकताएं, यूपीएस, विभिन्न प्रकार की बैटरी। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार की लाइट्स का उपयोग जिनका इनडोर के साथ-साथ आउटडोर शूटिंग में किया जाता है जैसे एचएमआई, हैलोजन, फ्लोरो, टंगस्टन, जोकर, एलईडी, उनकी वाट क्षमता। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक ट्रॉली बोर्ड। कलर टेम्प्रेचर की अवधारणा, फोकस - डिफोकस, हार्ड - सॉफ्ट लाइट, व्हाइट एंड ब्लैक बैलेंस और लाइटिंग में बटर पेपर, जिलेटिन पेपर, सीटीओ और सीटीबी फिल्टर का उपयोग। टेलीविजन स्टूडियो से संबंधित उपकरणों की मरम्मत, रखरखाव और रखरखाव कीअप का ज्ञान।

पद क्र.स : 17: हिंदी टाइपिस्ट क्लर्क

विशिष्ट क्षेत्र: इस भाग के प्रश्नों को उम्मीदवार की संख्याकी समझ और संख्या के उचित उपयोग की क्षमता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इस भाग के अन्तर्गत स्कोप उम्मीदवार के होल नंबर सेंस की गणना का होगा। इस भाग के अन्तर्गत गुंजाइश, पूर्ण संख्या, दशमलव, अंश और संख्या, प्रतिशत, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूल बीजगणित की मूल बीजगणितीय पहचान, बार आरेख और पाई चार्ट के बीच संबंधों की गणना होगी। आरक्षण, आयकर, सेवा कर, वेतन आयोग, वेतन और भत्ता, अवकाश, खरीद प्रक्रिया, बैंक प्रक्रिया, न्यायालय प्रक्रिया पर भारत सरकार के नियम से संबंधित सरल प्रश्न।

पद क्र.स : 18- बढ़ई

विशिष्ट क्षेत्र: बढ़ईगीरी के प्रकार, बढ़ईगीरी के लिए कौशल, बढ़ईगीरी के लिए उपकरण और मशीनरी, सामग्री का चयन, बढ़ईगीरी में उपयोग की जाने वाली लकड़ी के प्रकार, रिपिंग/क्रॉस कटिंग/कर्ब/आरी/काटना, आवश्यक आकार बनाने के लिए ग्राइंडिंग की क्रिया। मापने, अंकन, कार्य होल्डिंग और परीक्षण उपकरण। फिल्म/टीवी सेट एवं स्थान पर भवन निर्माण, लकड़ी एवं अन्य ढांचों को लगाने एवं हटाने का कार्य। साथ ही फिल्म या टीवी स्टूडियो में और स्थान पर (खुले और साथ ही बंद वातावरण में) सेट को नष्ट करना, कला विभाग के अन्तर्गत निर्माता और निर्देशक के डिजाइन और रचनात्मक दृष्टि को पूरा करने का ज्ञान। लकड़ी और अन्य सामग्री का उपयोग करके खिड़की के फ्रेम, दरवाजे, या सीढ़ियों की तरह संरचनाओं (उदाहरण के लिए अंतरिक्ष यान या जहाज इत्यादि) को देखने और निर्मित करने की क्षमता। समयबद्ध तरीके से फिल्म सेट प्रोडक्शन के माध्यम से रचनात्मक रूप से देखने की क्षमता और उन सहायक संरचनाओं का ज्ञान भी जिन पर सेट बनाए गए हैं। सेट टू स्केल को उचित रूप से विकसित करने के लिए मजबूत गणित कौशल का उपयोग। सेट सामग्री के निपटान से संबंधित ज्ञान और स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कार्य गतिविधियाँ।

पद क्र.स -19: चालक

विशिष्ट क्षेत्र: बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे - विभिन्न प्रकार के वाहन जैसे हल्के वाहन, भारी वाहन आदि, मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के विभिन्न भाग, विस्तृत यातायात नियम, ड्राइविंग के लिए आरटीओ द्वारा परिभाषित विभिन्न संकेत, पुणे का भौगोलिक ज्ञान, मुंबई और आस-पास के क्षेत्र, ड्राइविंग कौशल और उक्त स्थिति को संभालने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता पर स्थिति आधारित प्रश्न, सभी प्रकार के वाहनों की मूलभूत मरम्मत और रखरखाव, मोटर वाहनों का बीमा, संबंधित अपराध, संबंधित दंड और प्रक्रियाएं, दुर्घटना के दावे, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान।

पद क्र.स -20: इलेक्ट्रीशियन

विशिष्ट क्षेत्र: फिल्म और या टेलीविजन प्रोडक्शन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपकरणों और सहायक उपकरणों की मरम्मत, रखरखाव और रखरखाव का ज्ञान। मुख्य रूप से क्रेन, क्रेब डॉली, स्ट्रेट और राउंड ट्रैक-ट्रॉली, जिमी जिब्स, ट्राइपॉड्स और डॉली, ट्रॉलियां (वाहन) जिनका उपयोग प्रॉप्स और पोर्टेबल लाइट्स, लाइटिंग सिस्टम (ताराफा / स्टूडियो आधारित मैनुअल लाइटिंग सिस्टम), लाइट स्टैंड्स, बार्न-

को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। डोर बार्न, हाफ नेट, फुल नेट, स्किमर, कटर, रिफ्लेक्टर, कटर और रिफ्लेक्टर स्टैंड, पाटला, जिमी जिब, सैंड बैग, पोर्टेबल जेनरेटर आदि। साथ ही, कैमरा और कैमकोर्डर, लेंस, ट्राईपॉड/डॉली, बैटरी, मॉनिटर आदि। विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टर, स्क्रीन, केबल, कन्वर्टर, कनेक्टर, ऑडियो-वीडियो पैच पैनल, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम, डॉल्बी एटीएमओएस सिस्टम, सिंगल फेज और 03 फेज सप्लाई, 5 ए और 03 फेज की आपूर्ति की मरम्मत, रखरखाव और रखरखाव का ज्ञान 15/16 ए आवश्यकताएं, यूपीएस, विभिन्न प्रकार की बैटरी। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार की लाइट्स का उपयोग इनडोर के साथ-साथ आउटडोर शूटिंग में किया जाता है जैसे एचएमआई, हैलोजन, फ्रेस्नेल, टंगस्टन, जोकर, एलईडी, उनकी वाट क्षमता। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक ट्रॉली बोर्ड कलर टेम्प्रेचर की अवधारणा, फोकस - डिफोकस, हार्ड - सॉफ्ट लाइट, व्हाइट एंड ब्लैक बैलेंस और लाइटिंग में बटर पेपर, जिलेटिन पेपर, सीटीओ और सीटीबी फिल्टर का उपयोग। टेलीविजन स्टूडियो से संबंधित उपकरणों की मरम्मत, अनुरक्षण और रखरखाव (कीअप) का ज्ञान।

पद क्र.स -21 : पेंटर

विशिष्ट क्षेत्र: पेंटिंग के प्रकार, पेंटिंग के लिए कौशल, पेंटिंग के लिए उपकरण और मशीनरी, सामग्री का चयन, पेंटिंग में उपयोग किए जाने वाले पेंट के प्रकार, विभिन्न सतहें, चिनाई/लकड़ी/धातु, चिकनी/खुरदरी सतह, झरझरा/गैर झरझरा, सबस्ट्रेट। सतहों की तैयारी, प्राइमर का प्रयोग - लकड़ी और धातु के साथ आंतरिक और बाहरी सतहें। आंतरिक और बाहरी सतह की इनेमल पुट्टी और सीमेंट पुट्टी तैयार करना। पानी आधारित और सोल्वेन्ट आधारित उत्पाद, पेंटिंग के लिए उपकरण, मिश्रण प्रक्रिया, श्रम लागत, पेंट लागत आदि पर पहुंचने के लिए चित्रित क्षेत्र का माप, पेंटिंग तकनीक, पेंटिंग सेट से संबंधित कार्य और स्टूडियो में फिल्म/टीवी सेट के साथ ही स्थानों पर पेंटिंग सेट और अन्य संरचनाओं को पेंटिंग करने से संबंधित कार्य। कला विभाग के तहत निर्माता और निर्देशक की डिजाइन और रचनात्मक दृष्टि को पूरा करने का ज्ञान। पेंट सामग्री के निपटान और स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित कार्य गतिविधियों से संबंधित ज्ञान।

पद क्र.स -22: तकनीशियन

विशिष्ट क्षेत्र: फिल्म और या टेलीविजन प्रोडक्शन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपकरणों और सहायक उपकरणों की मरम्मत, रखरखाव और रखरखाव का ज्ञान। मुख्य रूप से क्रेन, क्रेब डॉली, स्ट्रेट और राउंड ट्रैक-ट्रॉली, जिमी जिब्स, ट्राइपॉड्स और डॉली, ट्रॉलियां (वाहन) जिनका उपयोग प्रॉप्स और पोर्टेबल लाइट्स, लाइटिंग सिस्टम (ताराफा / स्टूडियो आधारित मैनुअल लाइटिंग सिस्टम), लाइट स्टैंड्स, बार्न-को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। जर बार्न, हाफ नेट, फुल नेट, स्किमर, कटर, रिफ्लेक्टर, कटर और रिफ्लेक्टर स्टैंड, पाटला, जिमी जिब, सैंड बैग, पोर्टेबल जेनरेटर आदि। साथ ही, कैमरा और कैमकोर्डर, लेंस, ट्राईपॉड/डॉली, बैटरी, मॉनिटर आदि। विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टर, स्क्रीन, केबल, कन्वर्टर, कनेक्टर, ऑडियो-वीडियो पैच पैनल, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम, डॉल्बी एटीएमओएस सिस्टम, सिंगल फेज और 03 फेज सप्लाई, 5 ए और 03 फेज की आपूर्ति की मरम्मत, अनुरक्षण और रखरखाव का ज्ञान 15/16 ए आवश्यकताएं, यूपीएस, विभिन्न प्रकार की बैटरी। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार की लाइट्स का उपयोग इनडोर के साथ-साथ आउटडोर शूटिंग में किया जाता है जैसे एचएमआई, हैलोजन, फ्रेस्नेल, टंगस्टन, जोकर, एलईडी, उनकी वाट क्षमता। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक ट्रॉली बोर्ड

कलर की अवधारणा, फोकस - डिफोकस, हार्ड - सॉफ्ट लाइट, व्हाइट एंड ब्लैक बैलेंस और लाइटिंग में बटर पेपर, जिलेटिन पेपर, सीटीओ और सीटीबी फिल्टर का उपयोग। टेलीविजन स्टूडियो से संबंधित उपकरणों की मरम्मत, अनुरक्षण और रखरखाव का ज्ञान।

पद क्र.स -23 टास्किंग स्टाफ (सहायक बढ़ई)

विशिष्ट क्षेत्र: बढ़ईगीरी के प्रकार, बढ़ईगीरी के लिए कौशल, बढ़ईगीरी के लिए उपकरण और मशीनरी, सामग्री का चयन, बढ़ईगीरी में उपयोग की जाने वाली लकड़ी के प्रकार, रिपिंग/क्रॉस कटिंग/कर्ब/आरी/काटना, आवश्यक आकार बनाने के लिए पीसने की क्रिया। मापने, अंकन, कार्य होल्डिंग और परीक्षण उपकरण। फिल्म/टीवी सेट एवं स्थान पर भवन निर्माण, लकड़ी एवं अन्य ढांचों को लगाने एवं हटाने का कार्य। साथ ही फिल्म या टीवी स्टूडियो में और स्थान पर (खुले और साथ ही बंद वातावरण में) सेट को नष्ट करना, कला विभाग के अन्तर्गत निर्माता और निर्देशक के डिजाइन और रचनात्मक दृष्टि को पूरा करने का ज्ञान। लकड़ी और अन्य सामग्री का उपयोग करके खिड़की के फ्रेम, दरवाजे, या सीढ़ियों की तरह संरचनाओं (उदाहरण के लिए अंतरिक्ष यान या जहाज इत्यादि) को देखने और निर्मित करने की क्षमता। समयबद्ध तरीके से फिल्म सेट प्रोडक्शन के माध्यम से रचनात्मक रूप से देखने की क्षमता और उन सहायक संरचनाओं का ज्ञान भी जिन पर सेट बनाए गए हैं। सेट टू स्केल को उचित रूप से विकसित करने के लिए मजबूत गणित कौशल का उपयोग। सेट सामग्री के निपटान से संबंधित ज्ञान और स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कार्य गतिविधियाँ।

पद क्र.स 24: मल्टी टास्किंग स्टाफ (प्रयोगशाला परिचारक)

विशिष्ट क्षेत्र: फिल्म सामग्री, पोजिटिव, नगेटिव, इंटर पोजिटिव, इंटर नगेटिव, रिलीज प्रिंट, भंडारण, फिल्म फार्मेट, 16 मिमी, 35 मिमी, 70 मिमी, आईमैक्स, डिजिटल इंटरमीडिएट, डिजिटल सिनेमा पैकेजिंग, डीसीआई। कलर करेक्शन प्रणाली, इसके अनुरक्षण और रखरखाव, कलर करेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, डेटा के ट्रांसफर का ज्ञान। एक संपादित फिल्म में वांछित रंग, स्वर और कलर पलट्स जोड़ने के लिए रंग संपादन सॉफ्टवेयर का ज्ञान। प्राथमिक रंग, माध्यमिक रंग, पूरक रंग, रंग, संतृप्ति, चमक (hue, saturation, luminance, chrominance), क्रोमिनेंस, कंट्रास्ट अनुपात, कलर थ्रेशोरी, फिल्म में कलर करेक्शन आदि जैसे शब्दों का ज्ञान। कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन में उपयोग किए जाने वाले मॉनिटर, प्रोजेक्टर, सर्वर आदि की परिचालन प्रणाली का ज्ञान।

पद क्र.स 25: मल्टी टास्किंग स्टाफ (प्लम्बर)

विशिष्ट क्षेत्र: बेसिक फिटिंग ऑपरेशन, हैकसाइंग, चिसलिंग, फिलिंग, ड्रिलिंग, टेपिंग, ग्राइंडिंग, विभिन्न प्रकार की पाइपों पर थ्रेड कटिंग, फिटिंग एक्सेसरीज, गैस वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग द्वारा पाइपों को जोड़ना। पाइप लाइन को छुपाने के लिए ईंट की दीवार काटना। प्लंबर के औजारों और उपकरणों का उपयोग करके पाइपों को मोड़ना। ताप प्रक्रिया का उपयोग करके पाइपों को जोड़ना। विभिन्न प्रकार के जोड़ों और फिक्सिंग का उपयोग करके पूरी पाइपलाइन का निर्माण करना। पाइप लाइन पर कॉक और

वाल्व । जल विश्लेषण परीक्षण, जल दबाव परीक्षण, बिजली पंपों की स्थापना और रखरखाव, मोटर पंपों के लिए बिजली की गणना, विभिन्न नल और प्रकार ।

पद क्र.स 26: मल्टी टास्किंग स्टाफ (क्लीनर)

विशिष्ट क्षेत्र: वाहन की सफाई के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य उपभोग्य सामग्रियों के ज्ञान के साथ आवश्यकता, आवश्यकता और वायुमंडलीय स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के वाहन की सफाई और धुलाई के धुलावों (solutions) का ज्ञान । वाहन की मरम्मत के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरणों और उपकरणों को संचालित करने का ज्ञान । मरम्मत कार्य के लिए दस्तावेज तैयार करने, वाहन चेकलिस्ट आदि तैयार करने का ज्ञान । आरटीओ नियमों और विनियमों, वाहन बीमा का ज्ञान । विभिन्न प्रकार के वाहन जैसे भारी वाहन, हल्के वाहन आदि, यातायात नियम, ड्राइविंग और पार्किंग के लिए आरटीओ द्वारा परिभाषित विभिन्न संकेत । पुणे, मुंबई और आसपास के क्षेत्रों का भौगोलिक ज्ञान। उक्त स्थिति को संभालने के लिए ड्राइवर और क्लीनर की ड्राइविंग और सहायक कौशल और आवश्यकताओं पर स्थिति आधारित प्रश्न । वाहनों की सामान्य सफाई, अनुरक्षण और रखरखाव और वाहनों के बेसिक स्पेयर पार्ट्स का ज्ञान ।

पद क्र.स -27: मल्टी टास्किंग स्टाफ (फराश)

विशिष्ट क्षेत्र: हाउसकीपिंग आवश्यकताओं और संसाधनों की पहचान करना । हाउसकीपिंग गतिविधियों की तैयारी, फर्श की सफाई, वॉशरूम और बाथरूम की सफाई, वॉशरूम और बाथरूम में आपूर्ति की भरपाई करना और सफाई पूरी करना । लंबवत रिक्त स्थान, फिटिंग, आंतरिक ग्लास रिक्त स्थान की सफाई । क्षेत्रों को साफ सुथरा और अच्छे क्रम में रखना और रखरखाव बनाए रखना । अपशिष्ट निपटान, चेकलिस्ट और रजिस्टर । रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण, वरिष्ठों के साथ बातचीत करना। जरूरत, आवश्यकता और वायुमंडलीय स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार की सफाई और धुलाई धुलावों (solutions) का ज्ञान । सफाई के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य उपभोग्य सामग्रियों का ज्ञान । सफाई के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरणों और उपकरणों को संचालित करने का ज्ञान । सफाई कार्य के लिए दस्तावेज तैयार करने, चेकलिस्ट तैयार करने आदि का ज्ञान ।

पद क्र.स 28: मल्टी टास्किंग स्टाफ (चपरासी)

विशिष्ट क्षेत्र: फर्नीचर और जुड़नार के साथ कमरे/अनुभाग की सामान्य सफाई और रखरखाव, खुलने-बंद होने वाले कमरे, टेबल, कुर्सियों, आलमीरा, किताब-अलमारियों, क्यूबिकल्स, दरवाजे, खिड़कियां, अन्य जुड़नार आदि जैसे फर्नीचर की धूल झाड़ना, भौतिक रखरखाव रिकॉर्ड, ऑपरेटिंग फोटोकॉपी मशीन, डेयरी, प्रेषण, डाक रसीद और वितरण, रजिस्ट्रों में डेटा प्रविष्टि और कंप्यूटर पर ज्ञान। बैंकिंग प्रणाली और बैंक से संबंधित अन्य सेवाओं का बुनियादी ज्ञान। इंटरनेट, ईमेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बुनियादी ज्ञान। खोलना - कमरों/खंडों आदि को बंद करना। अंग्रेजी से स्थानीय भाषा में शब्दों का अनुवाद और इसके विपरीत। प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, BODMAS (कोष्ठक, आदेश, भाग, गुणन, जोड़ घटाव) पर सरल गणना। स्पीड पोस्ट, पार्सल और अन्य डाक सेवाओं और प्रणाली का ज्ञान, कोरियर या पार्सल एकत्र करना और वितरित करना और डाक / मेल को छांटना। कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए कॉफी और चाय तैयार करना, अच्छी सेवा प्रथाएं। नगर

निगम, बिजली बोर्ड, टेलीफोन एक्सचेंज, अस्पतालों आदि से संबंधित कार्यालय के लिए आवश्यक बिलिंग प्रणाली और अन्य सेवाओं का बुनियादी ज्ञान।

पद क्र.स- 29: मल्टी टास्किंग स्टाफ (कुक सह चौकीदार)

विशिष्ट क्षेत्र: भारतीय व्यंजन पकाने, भोजन और स्वच्छता के बारे में बुनियादी ज्ञान। भौतिक सुरक्षा, कर्मियों की सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा, संपत्तियों की सुरक्षा, भवनों की सुरक्षा, शैक्षिक संस्थान, खतरों के प्रकार और खतरे को कम करने के उपायों का बुनियादी ज्ञान। आग और लड़ाई, भीड़ नियंत्रण, परिचालन स्वास्थ्य और सुरक्षा, तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों की पहचान, सार्वजनिक और पुलिस में उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के हथियारों की पहचान, प्राथमिक चिकित्सा, संकट प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन पर बुनियादी प्रश्न। के ज्ञान से संबंधित जानकारी शस्त्र लाइसेंस और यात्रा दस्तावेज के साथ पहचान पत्र, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्ड और सरकारी फोटो पहचान पत्र सहित दस्तावेजों की जांच और पहचान। गैर-निषिद्ध हथियारों को संभालने और चलाने से संबंधित सरल प्रश्न। प्रथम सूचना रिपोर्ट, भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और निजी रक्षा के अधिकार, नीति और सैन्य बलों में रैंक के बैज से संबंधित सरल और मूलभू प्रश्न। सुरक्षा उपकरणों और उपकरणों जैसे सुरक्षा अलार्म, स्क्रीनिंग उपकरण, HHMD आदि के उपयोग से संबंधित प्रश्न, अज्ञात वस्तुओं को संभालने, तोड़फोड़-रोधी जांच करने और विभिन्न सुरक्षा संबंधी उपकरणों को संभालने से संबंधित प्रश्न।

पद क्र.स 30: स्टूडियो सहायक

विशिष्ट क्षेत्र: हलोजन, फ्रेस्नेल, एचएमआई, एलईडी, टंगस्टन, जोकर इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार की लाइट्स और उनके वाट क्षमता का ज्ञान। विभिन्न प्रकार की लाइट्स के कलर टेम्पचर की अवधारणा, कलर टेम्पचर कनवर्जन फिल्टर, विभिन्न प्रकार के सेट और स्टूडियो के साथ-साथ स्थानों पर फिल्म और टेलीविजन शूटिंग में उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रिक सिस्टमका ज्ञान। स्क्रिमर, कटर, रिफ्लेक्टर, बार्न डोर, फुल नेट, हाफ-नेट, अलग-अलग कलर के जिलेटिन पेपर्स, डायरेक्टर्स जैसे शूटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न शूटिंग उपकरणों की आवश्यकता के साथ फोकस, डिफोकस, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, व्यू फाइंडर, बूम-रॉड आदि जैसे विभिन्न तकनीकी शब्दों का ज्ञान। विभिन्न प्रकार के कैमरों, कैमकोर्डर, टेप फॉर्मेट, फिल्टर, केबल, कनेक्टर्स और शूटिंग में उपयोग किए जाने वाले कन्वर्टर्स का मूलभूत ज्ञान। टीवी स्टूडियो में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का ज्ञान जैसे विजन मिक्सर (वीएम), कैमरा कंट्रोल यूनिट (सीसीयू), ऑडियो कंसोल, लाइटिंग कंसोल/डिमायर पैनल, टेली-प्रॉम्प्टर, मॉनिटर, हेड फोन, टीवी स्टूडियो में उपयोग किए जाने वाले माइक और मल्टीकैमरा सेटअप में प्री-प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैसे किया जाता है

अनुबंध - XV

कौशल परीक्षा का मूल्यांकन/विवरण

1. चालक

- कौशल परीक्षण से विभिन्न प्रकार के भारी और हल्के मोटर वाहनों को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए उम्मीदवार की क्षमता की जांच की जाएगी।
- मोटे तौर पर, निम्नलिखित कौशलों का परीक्षण किया जाएगा;
- i. वाहन स्टार्ट करने से पहले चेक करता है।
 - ii. गति के संबंध में वाहन को नियंत्रित करना और सड़क पर क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग व्हील, आदि का उपयोग करना।
 - iii. विभिन्न स्थितियों जैसे अन्य की गति के अनुसार गति में परिवर्तन.वाहन, पैदल यात्री, सड़क की स्थिति, प्रकाश की मात्रा और देखी गई आगेकी दूरी।
 - iv. यातायात में वाहन चलाते समय उचित लेन का प्रयोग एवं लेन परिवर्तन, सुरक्षित दूरी के साथ अन्य वाहनों के प्रति सम्मान, यातायात नियमों का पालन, मुड़ने से पहले जेब्रा क्रॉसिंग, उचित सिगनलिंग।
 - v. दूरी का अनुमान लगाना (अन्य कारों, पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों आदि से सुरक्षित दूरी)
 - vi. पार्किंग कौशल जैसे समानांतर पार्किंग या रिवर्स पार्किंग या ढलान पर पार्किंग आदि।
 - vii. रुकना (आपात स्थिति में सुचारू रूप से सही जगह पर और जल्दी और सुरक्षित रूप से)
 - viii. दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना।
 - ix. मोटर वाहन की मामूली मरम्मत और रखरखाव के बारे में ज्ञान

2. हिंदी टाइपिस्ट और आशुलिपिक

टंकण परीक्षा/लिपियों के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश (अंग्रेजी/हिंदी)
गलतियों की प्रकृति

ए. पूर्ण गलतियाँ: निम्नलिखित त्रुटियों को पूर्ण गलतियाँ माना जाएगा: -

- i किसी शब्द/आंकड़े के प्रत्येक लोप के लिए
- ii. गलत शब्द/अंक के प्रत्येक प्रतिस्थापन के लिए, शब्दों के स्थानान्तरण को छोड़कर ।
- iii. परिच्छेद में न पाए जाने वाले शब्द/अंक के प्रत्येक जोड़ के लिए ।
- iv. पुनरावृत्ति, या जोड़, या चूक, प्रत्येक वर्तनी त्रुटि के लिए
किसी अक्षर/अक्षरों का प्रतिस्थापन, उदा. शब्द 'स्पलिंग है ' टाइप किया गया .सीप्लिंग्स सिप्लिंग; ;
सपेलिंग ,सीपलिंग; सेप्लिंग आदि
- v. शब्द / आकृति की पुनरावृत्ति के लिए, e.g.. 'I shall be grateful

vi. अधूरे शब्द (आधे टाइप किए गए शब्दों को गलती माना जाएगा) ।

ख. आधी गलतियाँ: निम्नलिखित त्रुटियों को आधी गलतियाँ माना जाएगा: -

- i रिक्ति त्रुटियाँ: जहां दो शब्दों के बीच कोई स्थान नहीं दिया जाता है, e.g. 'Ihope', or
किसी शब्द के शब्दों या अक्षरों के बीच अवांछित स्थान प्रदान किया जाता है word e.g. 'I have', 'I
have' (space left between a word).
- ii. गलत कैपिटलाइज़ेशन: स्माल लेटर के लिए कैपिटल लेटर की गलत टाइपिंग या इसके विपरीत ।
(यह हिंदी टंकण लिपियों के संबंध में लागू नहीं होता है)
- iii. विराम चिह्न त्रुटियाँ: जहां किसी अन्य के द्वारा विराम चिह्न को छोड़ दिया जाता है या जोड़ा या
प्रतिस्थापित किया जाता है ।
- iv. स्थानान्तरण त्रुटियाँ: जहाँ शब्दों का स्थानान्तरण किया जाता है, e.g. the words 'I hope' typed
as 'hope I'.
- v. पैराग्राफिक त्रुटियाँ: प्रत्येक अपरिमेय पैरा के लिए आधी गलती मानी जाएगी, जहां
- vi. किसी भी पैराग्राफ के शुरू होने से पहले दी गई जगह एक समान नहीं है, यानी पैराग्राफ को मैनुअल
दिया गया; टैब कुंजी दबाए बिना, रिक्त स्थान, को आधी गलती मानी जाएगी ।

नोट: पेन या पेंसिल से किए गए किसी भी सुधार को गलती माना जाएगा ।

उम्मीदवारों के लिए को निर्देश

●उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि प्रश्न पत्र में दिए गए तरीके से वे शब्दों/अंकों और संख्यात्मक/वर्षों को टाइप करें।

(अंग्रेजी और हिंदी दोनों में) गलती होगी गलती होगी ।

अगर कोई उम्मीदवार अलग तरह से या दूसरी भाषा में टाइप करता है तो गलती माना जाता है ।

अंग्रेजी और हिंदी माध्यमों में दोनों पर लागू होता है ।

●उम्मीदवार को उसके द्वारा चुने गए माध्यम में टेस्ट पैसेज टाइप करना आवश्यक है, उदा- यदि वह अंग्रेजी माध्यम का विकल्प चुनता है, तो उसे अंग्रेजी भाषा में टाइप करना होगा और इसके विपरीत । यदि कोई उम्मीदवार उस माध्यम में टाइप करता है जिसे उसने नहीं चुना है तो कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा ।

● उम्मीदवारों को किसी भी पैरा की शुरुआत के लिए टैब कुंजी का उपयोग करना आवश्यक है; रिक्त स्थान मैनुअल रूप से देने के बजाय ।

हर पैरा, जहां बिना Tab Key दबाए जगह दी गई है, उसे आधी गलती मानी जाएगी ।

● उम्मीदवारों को पैसेज को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि एक बार और उसके निपटान में समय है और निर्धारित समय के दौरान यदि उन्होंने पूरा कर लिया है तो उन्हें उनकी गलतियों और अशुद्धियों, यदि कोई हो, को सुधारने, उन्हें संशोधित करने की अनुमति है ।

● प्रत्येक विराम चिह्न के बाद, केवल एक स्थान डाला जाना है, उदा ,अल्पविराम के बाद, पूर्ण । रोक, पूछताछ का निशान आदि । हालांकि, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इस संबंध में वे प्रश्नपत्र का पूरी गंभीरता से पालन करें ।

● किसी भी अप्रासंगिक मामले/संख्यात्मक टाइप को गलती माना जाएगा ।

● किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाले किसी भी अपूर्ण शब्द को एक पूर्ण गलती माना जाएगा ।